लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES
तृतीय माला
Third Series

खण्ड ३०, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXX, 1964 / 1886 (Saka)

[१५ से २८ अप्रैल, १९६४/२६ चैत्र से ८ वैशाख, १८८६ (शक)]

15th to 28th April, 1964/ Chaitra 26 to Vaisakha 8, 1886 (Saka)

Preservation
Fumigated
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1886 (Saka)

(खण्ड ३० में अंक ५१ से ६० तक हैं)

(Volume XXX contains Nos. 51 to 60)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

F 650 (Ai) LSD—1

विषय-सूची

अंक ५६—सोमवार, २७ अप्रैल, १९६४/७ वैशाख, १८८६ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
११९५	टेलीविज़न . .	४५३५–३६
११९६	राष्ट्रमंडल देशों का सम्मेलन	४५३७—४१
११९७	आकाशवाणी के समाचार विभाग तथा वैदेशिक सेवा प्रसारण विभाग का पुनर्गठन .	४५४१—४३
११९८	गोआ	४५४३—४६
११९९	काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा घात लगा कर हमला	४५४६—४८
१२००	लंका में भारतीय	४५४८—५०
१२०२	जम्मू के निकट एक गांव पर पाकिस्तानियों द्वारा छापा	४५५०—५२
१२०३	गोआ में ईसाई मिशनरी . . .	४५५२—५४
१२०४	युद्ध-विराम रेखा का उल्लंघन . .	४५५५–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या		
११९२	प्रधान मंत्री को प्राप्त उपहारों के लिए संग्रहालय .	४५५६
११९३	प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद .	४५५६–५७
११९४	मृत सेना पदाधिकारियों के बच्चों को सुविधायें .	४५५७
१२०१	ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग . . .	४५५७–५८
१२०५	विमानों का उत्पादन . .	४५५८
१२०६	अखबारी कागज का आयात . . .	४५५८–५९
१२०७	पूर्व पाकिस्तान में स्त्रियों पर किये गये अत्याचार	४५५९
१२०८	वियना में भारतीय दूतावास . .	४५५९–६०
१२०९	जंजीबार में भूमि का राष्ट्रीयकरण . . .	४५६०
१२१०	नेशनल केडट कोर के साथ एन० सी० सी० राइफल्स का मिलाया जाना	४५६०–६१

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 59—Monday, April 27, 1964/Baisakha 7, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

**Starred*

Questions Nos.	Subject	Page
1195.	Television	4535–37
1196.	Conference of the Commonwealth Countries .	4537–41
1197.	Reorganisation of News Services Division and External Services Division	4541–43
1198.	Goa	4543–46
1199.	Pakistani Ambush in Kashmir	4546–48
1200.	Indians in Ceylon . .	4548–50
1202.	Pakistani raid in a Village near Jammu .	4550–52
1203.	Christian Missionaries in Goa	4552–54
1204.	Violation of Ceasefire Line . .	4555–56

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
1192.	Museum for Gifts to P.M. . .	4556
1193.	Praga Tools Ltd., Secunderabad . . .	4556–57
1194.	Benefits to Children of deceased Army Officers	4557
1201.	Indian High Commission in U.K.	4557–58
1205.	Aircraft Production	3558
1206.	Import of Newsprint	4558–59
1207.	Atrocities committed on Women in East Pakistan .	4559
1208.	Indian Embassy in Vienna	4559-60
1209.	Nationalisation of Land in Zanzibar	4560
1210.	Merger of National Cadet Corps with N.C.C. Rifles .	4560–61

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२५००	सामूहिक सम्पर्क	४५६१
२५०१	एशियाई प्रसारक संघ . . .	४५६१
२५०२	विदेशों को भेजे गये भारतीय शिष्टमंडल .	४५६२
२५०३	सूचना और प्रसारण मंत्रालय में बचत के उपाय .	४५६२
२५०४	नैरोबी में भारतीय	४५६२–६३
२५०५	५०५ ई० एम० ई० वर्कशाप, दिल्ली में 'रिज़र्विस्ट' .	४५६३
२५०६	'टस्कर' परियोजना	४५६४
२५०७	सेना मुख्यालय में समाघात विकास (कोम्बेट डेवेलपमेंट) .	४५६४
२५०८	प्रतिरक्षा मंत्रालय में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां	४५६४–६५
२५०९	अम्बाला तथा फीरोजपुर छावनी बोर्ड .	४५६५
२५१०	आर्मी आर्डनेन्स कोर . .	४५६५–६६
२५११	सीमा सड़क संगठन के लिये आयुध पदाधिकारी	४५६६
२५१२	सीमेन्ट उद्योग के लिये दूसरा मजूरी बोर्ड	४५६७
२५१३	पंजाब के लिये रेडियो सेट . .	४५६७
२५१४	वायु सेना मुख्यालय में असिस्टेंटों की पदोन्नति	४५६७
२५१५	बर्मा में दुकानों का राष्ट्रीयकरण	४५६७–६८
२५१६	भविष्य निधि योजना . .	४५६८
२५१७	विकिरण आनुवंशिकी परियोजना .	४५६८–६९
२५१८	सशस्त्र बल मुख्यालय में कार्यालय का समय	४५६९
२५१९	डेपुटेशन पर विदेश भेजे गये पदाधिकारी . .	४५७०
२५२०	जवानों का कल्याण . . .	४५७०–७१
२५२१	आकाशवाणी से संसद् की कार्यवाही सम्बन्धी प्रसारण	४५७१
२५२२	पाकिस्तानियों द्वारा गोलीबारी	४५७१–७२
२५२३	पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी . . .	४५७२
२५२४	जम्मू तथा काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा का निरीक्षण .	४५७२–७३
२५२५	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना	४५७३
२५२६	दिल्ली के भट्टा मजदूरों की मांगें . . .	४५७३–७४
२५२७	अमेरिका से अतिस्वन विमान . . .	४५७४
२५२८	अम्बाला के पास विमान दुर्घटना . .	४५७४
२५२९	आकाशवाणी, दिल्ली में अंग्रेज़ी के न्यूज़ रीडर . .	४५७४
२५३०	पाक अधिकृत काश्मीर के मुफ्ती का मक्का में दिया गया कथित वक्तव्य	४५७५

Unstarred Questions Nos.	Subject	Pages
2500.	Mass Communication	4561
2501.	Asian Broadcasting Union	4561
2502.	Indian Delegations to Foreign Countries . . .	4562
2503.	Economy Measure in I & B Ministry	4562
2504.	Indians in Nairobi	4562-63
2505.	Reservists in 505 EME Workshop, Delhi . .	4563
2506.	Tuskar Project	4564
2507.	"Combat Development" in Army Headquarters .	4564
2508.	S.C. and S.T. in Ministry of Defence . .	4564-65
2509.	Ambala and Ferozepur Cantonment Boards .	4565
2510.	A.O.C.	4565-66
2511.	Ordnance Officers for Border Roads Organisation .	4566
2512.	Second Wage Board for Cement Industry	4567
2513.	Radio Sets for Punjab	4567
2514.	Promotion of Assistants in AFHQ. .	4567
2515.	Nationalisation of shops in Burma. . .	4567-68
2516.	Provident Fund Scheme .	4568
2517.	Radiation Genetics Project	4568-69
2518.	Office hours in Armed Forces Headquarters . .	4569
2519.	Officers sent Abroad on Deputation . .	4570
2520.	Welfare of Jawans	4570-71
2521.	Parliamentary Proceedings on A.I.R. .	4571
2522.	Pak Firing	4571-72
2523.	Refugees from East Pakistan . .	4572
2524.	Inspection of Cease-fire line in J. & K. . . .	4572-73
2525.	C.G.H. Scheme for Defence Employees .	4573
2526.	Demands of Brick-Kiln Workers of Delhi .	4573-74
2527.	Supersonics from U.S.A. . .	4574
2528.	Air Accident near Ambala . . .	4574
2529.	English News Readers in A.I.R., Delhi . . .	4574
2530.	Reported Statement by P.O.K. Mufti in Mecca .	4575

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	४५७५—७७
कोहिमा नगर पर नागा विद्राहियों द्वारा गोली चलाया जाना	
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	४५७५
श्रीमती लक्ष्मी मेनन	४५७५—७७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४५७७
प्राक्कलन समिति	४५७८
कार्यवाही सारांश	
राज्य सभा से सन्देश	४५७८
भेषज तथा शृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक . . .	४५७८
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया	
विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६४—पारित . . .	४५७८—७९
संविधान (सत्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६४ . . .	४५७९—९७
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	४५७९
श्री काशी राम गुप्त	४५७९—८०
श्री दाजी	४५८०—८१
श्री ओझा . . .	४५८२
श्री गजराज सिंह राव . .	४५८२—८३
श्री बड़े . . .	४५८३—८४
श्री दी० चं० शर्मा	४५८४—८५
श्री प० गो० मेनन	४५८५—८६
श्री किशन पटनायक . . .	४५८६—८७
श्री सिंहासन सिंह . .	४५८७
श्री प० ना० कयाल	४५८७—८८
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी .	४५८८—९०
श्री दे० शि० पाटिल . .	४५९०
श्री बाकर अली मिर्जा . .	४५९१
श्री वासुदेवन नायर . .	४५९१—९२
डा० सरोजिनी महिषी .	४५९२—९३
श्री म० ल० जाधव .	४५९३—९४
श्री शिव नारायण	४५९४
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	४५९४—९५
श्री बासप्पा . . .	४५९५—९६
श्री मुथिया . .	४५९६—९७
श्री अ० कु० सेन . . .	४५९७

Subject	Pages
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	4575–77
Firing by Naga hostiles on Kohima town	4575
Shri Harish chandra Mathur	4575–77
Shrimati Laxmi Menon	
Papers laid on the Table	4577
Estimates Committee	4578
Minutes of Sub-committee	
Message from Rajya Sabha	4578
Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill	4578
Laid on the Table as passed by Rajya Sabha	
Appropriation (No. 3) Bill 1964—Passed	4578–79
Constitution (Seventeenth Amendment) Bill, 1964	4579—97
Motion to consider as reported by Joint Committee	4579
Shri Kashi Ram Gupta	4579–80
Shri Daji	4580–81
Shri Oza	4582
Shri Gajraj Singh Rao	4582–83
Shri Bade	4583–84
Shri D. C. Sharma	4584–85
Shri P. G. Menon	4585–86
Shri Kishen Pattnayak	4586–87
Shri Sinhasan Singh	4587
Shri P. N. Kayal	4587–88
Dr. L. M. Singhvi	4588–90
Shri D. S. Patil	4590
Shri Bakar Ali Mirza	4591
Shri Vasudevan Nair	4591–92
Dr. Sarojini Mahishi	4592–93
Shri M. L. Jadhav	4593–94
Shri Sheo Narain	4594
Shri P. R. Chakraverti	4594–95
Snri Basappa	4595–46
Shri Muthiah	4596–97
Shri A. K. Sen	4597

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, २७ अप्रैल, १९६४/७ वैशाख, १८८६ (शक)

Monday, April 27, 1264/Vaisakha 7, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : श्री विश्वनाथ पाण्डेय। श्री महेश्वर नायक। श्री राम हरख यादव। श्री आर० एस० पाण्डेय। श्री पी० सी० बरुआ। श्री यशपाल सिंह।

श्री यशपाल सिंह : ११९५।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य अपने स्थान पर नहीं हैं तो मैं उनकी उपस्थिति को नहीं मान सकता। वह रास्ते में खड़े हो कर नहीं बोल सकते।

टेलीविज़न

\+

*११९५. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में टेलीविज़न स्थापित करने के लिये एक वाणिज्यिक सार्थ से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग). देश में टेलीविज़न लगाने के प्रस्ताव कई संगठनों से समय समय पर सरकार को मिले हैं। प्रश्न में क्योंकि सार्थ का नाम नहीं बताया गया इसलिये प्रस्ताव की मुख्य बातें या उन पर सरकार की प्रतिक्रिया बताना संभव नहीं है।

Shri Yaspal Singh : May I know how far it would be in the fitness of things to instal television under the present circumstances when there is all round paucity of money and specially when we cannot give even bread to our people?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha) : The hon. Member must know that quite a large number of hon. Members here have been pressing for television for a long time. We had replied last time that foreign exchange was involved in it and that was why priority was not given to it due to emergency though money had been earmarked for it in the Third Plan. But some proposals have been received. Proposals were received even earlier but due to the foreign exchange difficulty we could not accept them. One proposal is being examined now. The persons concerned have met even the Finance Minister and told him that foreign exchange is not a serious matter in their proposal. It is therefore hoped that some way may be found out. They are prepared to instal television and accept the payment in instalments overaperiod of 15-16 years, after a moratorium of five years. No indication can be given about the final decision yet.

Shri Yashpal Singh : There is some hilly area in Karol Bagh. May I know whether television would be installed across this hilly area?

Shri Satya Narayan Sinha : It has not yet come.

Mr. Speaker : First you said that it should not be installed and now you ask how it would go across the hill.

श्री कछवाय सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने अब गैर-सरकारी ब्राडकास्टिंग तथा टेलीविजन कारपोरेशनों को लाइसेंस देने का सिद्धांत मान लिया है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : अभी नहीं माना है।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has just stated that consideration was postponed due to emergency but now this scheme is again being considered. Are we to understand that there is no emergency now?

Shri Satya Narayan Sinha : The difficulty with the hon. Member is that he does not pay full attention to what we say. I said that the difficulty was about foreign exchange This proposal is being considered because the question of foreign exchange becomes some what easy for us. That is a big difference between the two.

श्री लोलाधर कटकी : माननीय मंत्री ने कहा कि स्काटलैण्ड की एक फर्म से प्रस्ताव आया है जो विचाराधीन है। यह प्रस्ताव किस अवस्था में है और कब तक इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

श्री सत्य नारायण सिंह : प्रस्ताव अभी अभी आया है और उसकी जांच हो रही है। हम यह नहीं कह सकते कि इसे अन्तिम रूप कब दिया जायेगा। हम सभी उत्सुक हैं और यदि इस चीज को चलाना ही है तो यथासंभव शीघ्र आरम्भ करना चाहिये।

Shri Y. P. Chaudhary : In which parts of the country television is to be installed first under this scheme?

Shri Satya Narayan Sinha : It would first be installed in the big cities at least.

Shri Vishram Prasad : May I know how many television stations would be established and whether there is a proposal to set up a factory in the country for the manufacture of television sets?

Shri Satya Narayan Sinha : How can television be installed when there are no television sets? Both these things form part of that scheme. It is still under consideration and we cannot say what decision would be taken.

Shri Yashpal Singh : The transmitters of this powerful government are so weak that they cannot counteract the Chinese transmitters. Will some steps be taken to make the transmitters more powerful before the installation of television?

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या सरकार ने नीति के रूप में टेलिविजन को व्यापारिक रूप देने का निर्णय किया है और यदि हां, तो कब तक वह क्रियान्वित हो जायेगा ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं ने बता दिया है कि सरकार ने अभी इस बारे में फैसला नहीं किया है।

Shri Bibhuti Mishra : Has Government taken into account the fact that the installation of television in backward States will help in the education of children?

Mr. Speaker : Let it come first, then we will decide about States.

Shri Bibhuti Mishra : Television would first be installed in Calcutta, Bombay, Madras and Delhi. Let the hon. Minister tell whether it would be installed in small towns or not.

Shri Satya Narayan Sinha : The hon. Member must realise that there are many Such backward areas where there is no provision for radio due to the non-availability of power, let alone the television. Moreover, the people of backward areas are very poor. Howsoever we may reduce the price of the television sets, it would still be high and the people of small places like Champaran, would not be able to purchase them.

राष्ट्रमंडल देशों का सम्मेलन

+

*११९६. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हेम बरुआ :
श्री राम सेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र मण्डल देशों का कोई सम्मेलन बुलाने का विचार है तथा क्या भारत की सुविधा के बारे में सलाह ली गई थी ; और

(ख) सम्मेलन कब तथा कहां पर होगा ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख) जैसा कि प्रधान मंत्री २२ अप्रैल को सभा में बता चुके हैं, राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्रियों का एक सम्मेलन अगली जुलाई में लन्दन में करने का प्रस्ताव है। प्रधान मंत्री ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस सुविज्ञ राजनैतिक धारणा को मानती है कि प्रधान मंत्रियों का यह राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन सामान्य निर्वाचन से पहले किया जाता है ताकि कंजरवेटिव पार्टी पूर्वी यूरोप में खोये हुये मान को पुनः प्राप्त कर सके और यदि हां, तो क्या कारण है कि इस समय राष्ट्रमण्डलीयसम्मेलन को स्वीकार करने से पहले भारत सरकार कंजरवेटिव पार्टी के हाथ क्यों मजबूत करना चाहती है और उसने यह भी मान लिया है कि यह सम्मेलन लन्दन में हो जबकि वहां के विरोधी दल के नेता भी यही चाहते हैं कि सम्मेलन अन्य राष्ट्रमण्डलीय देश में होना चाहिये।

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : भारत सरकार इंगलैण्ड के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और न ही उसने किया है। राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन लगभग दो वर्षों के बाद होने जा रहा है और साधारण ढंग से फिर इसमें शामिल होने का फैसला किया गया है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग अभी रहता है। लेबर नेता ने भी कहा था कि राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन केवल लन्दन में ही नहीं बल्कि अलग अलग राष्ट्रमण्डलीय देशों में होना चाहिये। इस पर हमारी प्रतिक्रिया क्या है? हम इस बात को क्यों नहीं उठाते? मेरा पहला प्रश्न यह था कि क्या हमने इस सम्मेलन के राजनैतिक परिणामों की जांच की है या नहीं और राजनैतिक उपलक्षणायें इस बात से पैदा होती हैं कि इससे कंजरवेटिव पार्टी लाभ उठाती है। दूसरा भाग तो है ही?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे तो पता भी नहीं था कि लेबर पार्टी के नेता ने सुझाव दिया है कि सम्मेलन कहीं और हो। सम्मेलन की बैठकों में यह सवाल कई बार उठा है ——बाद की बैठकें कहीं और होने के बारे में——और कहा जा सकता है कि कुछ लोग इसके हक में थे लेकिन ज्यादातर इसके खिलाफ थे और इसलिये ऐसा फैसला नहीं किया गया है। अचानक बदल देना तो मुश्किल होगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : जब प्रधान मंत्री ऐसे सम्मेलनों में जाते हैं तो सामान्यत : और भी बहुत से देशों में जाते हैं। मेरे विचार में उन्हें संयुक्त अरब गणराज्य सरकार से वहां के राष्ट्रपति तथा अन्य व्यक्तियों से मिलने का निमंत्रण आया है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस बार उनका क्या कार्यक्रम है, वह किस-किस देश में जायेंगे और कितना कितना समय वहां ठहरेंगे?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कार्यक्रम अभी बना नहीं है इसलिये मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन हो सकता है कि मैं लन्दन जाते हुये या वहां से आते हुये एक दिन के लिये काहिरा ठहरूं।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि इंगलैण्ड के प्रधान मंत्री ने इस प्रस्तावित राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में दक्षिणी रोडेशिया को निमन्त्रित करने के बारे में हमारे प्रधान मंत्री से परामर्श किया है और यदि हां, तो इस बारे में हमारी सरकार ने क्या सुझाव दिए हैं?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं समझता कि इस बारे में उन्होंने हमसे सलाह की है। मुझे तो कोई ऐसा याद नहीं। लेकिन साफ है कि यदि हमसे सलाह ली गई तो हमारा जवाब दक्षिणी रोडेशिया को बुलाने के पक्ष में नहीं होगा।

Shri Ram Sewak Yadav : Which important subjects are going to be discussed in the Commonwealth Conference and whether the Kashmir issue so far as it is related with Pakistan, would be raised there?

Shri Jawaharlal Nehru : I caonnot say. The agenda has not yet come but questions like Kashmir are not taken up there.

श्री रंगा : क्या कार्यावलि निश्चित हो गई है ? वहां किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी तथा क्या भारत की ओर से भी कोई विषय चर्चा के लिये रखा जायेगा या केवल इकट्ठा होने की ही बात है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने बताया कि एजेंडा अभी तैयार नहीं हुआ है या हमें नहीं मिला है। लेकिन वहां राष्ट्रमण्डल के इलावा जिन बातों पर चर्चा होती है वे हैं राष्ट्रमण्डल का बदलता हुआ रूप, युद्ध और शान्ति का सवाल, निरस्त्रीकरण और इसी तरह की अन्तर्राष्ट्रीय समस्यायें और दुनिया के हालात पर सामान्य दृष्टि। भारत से संबंध रखने वाली किन्हीं विशेष समस्याओं पर चर्चा होने की संभावना नहीं है।

श्री रंगा : उन देशों से आने वाले और वहां से निकाले जाने वाले भारतीय लोगों के बारे में क्या होगा ? क्या वहां बर्मा, लंका और पूर्वी अफ्रीका में रहने वाले भारतीय लोगों के बारे में चर्चा नहीं होगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता। पूर्वी अफ्रीका से कुछ भारतीय लोगों ने खुद ही आ जाने का फैसला किया है, त्यागपत्र दे दिया है, और हरेक देश में अलग अलग स्थिति है। शायद वहां इसका हवाला आये।

श्री हेम बरुआ : क्या आपके पास कार्यावलि नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : डा० स्वैल।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि राष्ट्रमडलीय सम्मेलन इतना अनियन्त्रित हो गया है कि अब प्रभावी नहीं रहा और क्या इस सम्मेलन का एक छोटा परिषद् बनाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो उस परिषद् के कर्तव्य और कृत्य क्या होंगे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह ठीक है कि यह कुछ अनियन्त्रित हो रहा है लेकिन इसको एक छोटी कमेटी बनाने का प्रस्ताव के बारे में मैं नहीं जानता और इसलिये मैं नहीं बता सकता कि इसके कर्तव्य क्या होंगे।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या भारत इस सम्मेलन में उपस्थित राष्ट्रमण्डल के अन्य प्रतिनिधियों के सामने जम्मू तथा काश्मीर के बारे में सुरक्षा परिषद में ब्रिटिश प्रतिनिधि द्वारा अपनाए गये रवैये तथा भारत से संबंधित अन्य मामलों के बारे में सवाल उठायेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून में या राष्ट्रीय प्रश्नों में राष्ट्रमण्डल के एक विशेष सदस्य ने क्या रवैया अपनाया इस बारे में वहां चर्चा नहीं की जाती।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : काश्मीर के बारे में सुरक्षा परिषद् में ब्रिटिश प्रतिनिधि के विरोधी रवैये को तथा पाकिस्तान में हिन्दू तथा ईसाई अल्पसंख्यकों के जनसंहार को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार ने इन्हें सम्मेलन की कार्यावलि में रखने का संकेत दिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : पहली बात तो यह है कि सरकार को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला है क्योंकि हमें अभी कोई एजेंडा नहीं मिला है और न ही हमारे सुझाव मांगे गये हैं। दूसरी बात, जैसा कि मैं ने कहा, यह है कि कश्मीर जैसे सवाल वहां उठाये नहीं जाते, माननीय सदस्य ने जनसंहार के बारे में कहा है मैं नहीं जानता कि आम तौर से यह बात कैसे उठती है।

Shri Gulshan : Will the Colombo proposals, evolved to solve the dispute between India and China, be discussed in the Commonwealth Conference ?

Shri Jawaharlal Nehru : All these things are referred to there but no decision are taken.

Shri Kishen Pattnayak Is the Govt. of India consulted in framing the agenda and, if so, what suggestion has been given by the Government ?

Shri Jawahalal Nehru : Yes, Sir, agenda is sent to us for any alterations which we may like to suggest and we convey our opinion to them.

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में राष्ट्रमण्डल देशों के बीच व्यापार संबंधी मामलों पर बातचीत होती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, बातचीत होगी। कुछ हद तक इस पर चर्चा होना लाजमी है।

श्री कपूर सिंह : क्या अपने भारी काम में सहायता देने के लिये माननीय प्रधान मंत्री अपने साथ किसी और मंत्री को ले जाना चाहते हैं ?

श्री रंगा : विशेषत : सामाजिक समारोह।

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस समय तो मेरा ऐसा इरादा नहीं है और लोग मेरे साथ जायेंगे लेकिन कोई मंत्री भी जायेगा इस बारे में मुझे शक है।

Shri Prakash Vir Shastri : Would the question of Indians being sent away from countries like Ceylon, Burma, Fiji and East African countries which has led to a strange and serious situation be taken up in the Commonwealth Conference so that some proper decision may be arrived at ?

Shri Jawaharlal Nehru : Usually these problems are not presented there. I think controversial topics between different countries are not taken up there.

Shri Prakash Vir Shastri : They may be consulted separately. It has become a serious problem.

Shri Jawaharlal Nehru: That may be but you see it is not anything new. You referred to Ceylon but that is an old thing.

Shri Prakash Vir Shastri : The incidents in Fiji and Burma are new.

Shri Jawaharlal Nehru : In Burma, action has not been taken against Indians only but all the foreigners. Moreover, Burma is not there in the Conference.

श्री अ० प्र० जैन : क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा उससे उत्पन्न होने वाले मामले और यूरोपीय निर्बाध व्यापार क्षेत्र का प्रश्न उठाने का कोई विचार है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: इन सब बातों का आम तौर से सामान्य चर्चा में हवाला दिया जाता है, ये एजेंडा में खास तौर से शामिल नहीं की जाती हैं। मेरा ख्याल है कि इस तरह इन पर चर्चा होगी।

Shri Onkar Lal Berwa : Would this Conference take into consideration the question of our territory under Chinese and Pakistani occupation?

Mr. Speaker : This question has already been asked.

Reorganisation of News Services Division and External Services Division

*1197. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the question of reorganisation of News Services Division and External Services Division of A.I.R. is under consideration; and

(b) the time by which it would be done?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Sham Nath) : (a) & (b). The re-organisation of News Services Division has already been carried out with effect from the 1st March, 1963. As regards External Services Division, no change in its organisational set up is contemplated at present.

Shri Siddeshwar Prasad : What are the main changes made in the News Services Division since its re-organisation on March 1, 1963 and to what extent they have added to the Division is efficiency?

Shri Sham Nath : Some posts there have been reduced while some others have been increased.

Shri Sidheshwar Prasad : Give us the details.

Mr. Speaker : How all the details can be given in a supplementary. However, if the hon. Member wants I can ask the hon. Minister to lay a statement.

Shri Sidheshwar Prasad : Yes Sir, that may be done.

Mr. Speaker : The hon. Minister may lay a statement regarding the re-organisation of the News Services Division.

Shri Sidheshwar Prasad : Is it not a fact that two years ago a decision was taken to the effect that separate Hindi News Unit and English News Unit would be instituted under the News Services Division but in the name of emergency the setting up of this Hindi News Unit has been shelved while in the English News Unit 4 Deputy Directors have been appointed.

Shri Sham Nath : I do not know about any such decision but the separation of Hindi and English seems to me to be somewhat impossible. News Services Division is one unit under which news are broadcast in English, Hindi and different regional languages.

श्री हेडा : जब विदेश सेवा विभाग का पुनर्गठन हो रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि कि जिन देशों में लोग भारतीय भाषायें बोलते हैं क्या उन्हें होने वाले ब्राडकास्टों की ओर ध्यान दिया गया है और यदि हां, तो क्या विदेश सेवा विभाग के अधीन इन भाषाओं में सेवा के प्रसार की ओर ध्यान दिया जाएगा ?

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): इस समय तो ऐसा कोई विचार नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि काम ठीक चल रहा है और इसलिए इस विशेष चीज के लिए पुनर्गठन आवश्यक नहीं समझा गया है।

Shri D. N Tiwari : May I know whether this re-organisation had increased the expenditure or decreased it; if there has been an increase, the amount thereof ?

Shri Satya Narayan Sinha : Some posts of Sub-editors have been created while some other posts have been retrenched. The expenditure remains almost the same—a balanced budget, or there might been a little difference. The expenditure has not increased up but the work now goes on more efficiently.

श्री हरि विष्णु कामत: यदि मैंने उपमंत्री महोदय को ठीक से सुना है तो उन्होंने कहा है कि विदेशी प्रचार सेवा विभाग के पुनर्गठन का कोई विचार नहीं है। क्या मैं मंत्री महोदय को एक वाद-विवाद के जवाब में प्रधान द्वारा कहे गये शब्दों को तथा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के उपमंत्री के शब्दों को याद दिला सकता हूं कि विदेश प्रचार सेवा की कार्यपटुता की लगातार जांच की जाती है। इस सम्बन्ध में क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि प्रचार सेवा को अधिक कुशल बनाने के लिये विशेषतः पाकिस्तान तथा चीन के भारत विरोधी प्रचार का मुकाबला करने के लिये, उसे पुनर्गठित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह ठीक है कि हम इन चीजों की लगातार जांच करते हैं और समय समय पर छोटे-मोटे परिवर्तन करते हैं। लेकिन हाल में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है।

श्री हरि विष्णु कामत: समय की मांग को पूरा करने के लिए क्या वे अधिक निपुण हो गए हैं ? आप छोटे और बड़े परिवर्तनों में क्या भेद समझते हैं ? क्या वह कृपया बतायेंगे कि छोटे मोटे परिवर्तन क्या हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: यह मैं कैसे कह सकता हूं कि क्या परिवर्तन किये गये हैं और कैसे किए गए हैं। वे यहां मेरे पास नहीं हैं। इसके इलावा जो छोटे छोटे फेरबदल किये जा रहे हैं उन्हें बताना जरा मुश्किल है—ज्यादा लोगों का कहीं भेजा जाना, ज्यादा लोगों का एक जगह से दूसरी जगह तबादला करना, वे कैसी जानकारी दें और ऐसी दूसरी चीजें।

श्री हरि विष्णु कामत: क्या वे आज अधिक कार्यकुशल हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: श्रीमान, मैं समझता हूं कि अब वे ज्यादा ही कार्यकुशल हैं।

Shri Prakash Vir Shastri: Were some news contrary to Indian defence and tradition broadcast as part of the news which used to be broadcast for foreign countries in their languages during the emergency ; if so, the action taken against officers who made such broadcasts which subsequently came to the notice of the Government.

Shri Satya Narayan Sinha: The hon. Member might be knowing that I was not informed of this matter but it was brought to the notice of some of ou radio officers, later on the question came before me. The person concerned has been dismissed from service.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि समाचार बुलेटिनों की संख्या बढ़ जाने के बावजूद समाचर सम्पादकों की संख्या उतनी ही है और इसलिये लोगों पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है ?

श्री शाम नाथ : यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में समाचार बुलेटिनों की संख्या बढ़ गई है। मैं प्रश्न का पिछला भाग समझ नहीं पाया।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न--श्री पी० आर० चक्रवर्ती।

श्रीमती सावित्री निगम : मैं जानना चाहती थी कि क्या समाचार बुलेटिनों की संख्या बढ़ जाने पर भी समाचार सम्पादकों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० आर० चक्रवर्ती।

गोआ

\+

*११९८. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान संयुक्त राष्ट्र में मुख्य अमरीकी प्रतिनिधि, श्री एडलाई स्टेवेन्सन द्वारा २३ मार्च, १९६४ को प्रिसटन यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने भारत द्वारा गोआ को लिए जाने के कार्य को सरासर आक्रमण बताया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विद्वान वक्ता तक इस सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया पहुंचा दी है तथा अमरीका के विश्वविद्यालयों, विशेषतया प्रिसटन यूनिवर्सिटी को भेज दी है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य- मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). सरकार ने अखबारों में श्री अदलाई स्टिवेन्सन के उस भाषण के बारे में खबरें देखी हैं जिसमें उन्होंने सैनिक कार्रवाई द्वारा गोआ की मुक्ति का उल्लेख किया था। चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ पहले ही इस बात का समर्थन कर चुका है कि गोआ, दमन और दीव राष्ट्रीयता से भारत के साथ जुड़ा हुआ है, सरकार इस दशा में किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत राय की ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझती।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच नहीं है कि अदलाई स्टिवेन्सन ने आक्रमणों का विशेष उल्लेख करते हुए भारत को उसके लिए जिम्मेदार बताया था और यदि हां, तो क्या सरकार सारी दुनिया को बतायी गयी इस गलत फहमी को दूर कर सकती है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हमने श्री स्टिवेन्सन का वक्तव्य देखा है। मैं पहले ही बता चुकी हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सामान्य महासभा में पारित संकल्प संख्या १८०७ द्वारा यह कहा था :

"इस बात को देखते हुए कि साओ जोस बतिस्ता-असूदा और गोआ और उसके आश्रित प्रदेश अब पुर्तगाल के प्रशासन में नहीं हैं यद्यपि वह क्रमशः डाहोमी और भारत के साथ राष्ट्रीयता से संबद्ध है।"

इस बात को देखते हुए कुछ करना हमारे लिए जरूरी नहीं है क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि वह भारत का अंग है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच नहीं है कि १९६१ में सुरक्षा परिषद् में श्री अदलाई स्टिवेन्सन के गोआ तथा उस संकल्प संबंधी, जिसका पश्चिमी राष्ट्रों ने समर्थन किया था और जिसे रूस ने वीटो किया था, भाषण के कारण इतना तनाव पैदा हुआ था कि अमरीका के साथ हमारे संबंध बिगड़ गये और राष्ट्रपति कैनेडी–को व्यक्तिगत रूप से उसकी कुछ कार्रवाई करनी पड़ी ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मुझे यह पिछली घटना ठीक ठीक याद नहीं है लेकिन यह ठीक है कि कुछ लोगों की, खासकर श्री अदलाई स्टिवेन्सन की राय ऐसी है जो मेरी समझ में बिल्कुल ही अनुचित है। वह उसे जानते हैं और यह हर कोई जानता है कि उनकी राय के बारे में हमारा यह ख्याल है। मैं यह नहीं समझता कि उनकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरों के संबंध में, मेरे सहयोगी ने गोआ के बारे में उनके द्वारा पारित संकल्प आपको पढ़कर सुनाया है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि भारत की आवाज जो कभी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध थी, राष्ट्रों के समुदाय में, खासकर यूरोप और अमरीका में, तिब्बत पर चीन के औपनिवेशिक कब्जे के मामले में सरकार के बुजदिली के रवैये की वजह से सम्मान के साथ नहीं सुनी गयी है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का कहना शत प्रतिशत गलत है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या गलत है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह गलत है कि तिब्बत पर चीन के आक्रमण के प्रति हमारे रवैये से उसका कुछ संबंध है। वह १० या १२ साल पहले हुआ था। उसके कई कारण हैं जिनकी जांच पड़ताल की जा सकती है और की जा रही है। यह सोचना गलत है कि भारत का प्रभाव पहले की अपेक्षा कम हो गया है। वह कम इस अर्थ में हो सकता है कि हम उतनी जोर से नहीं चिल्ला रहे हैं। यह बुनियादी तौर पर गलत है। हमारा प्रभाव काफी है। केवल हम शोर नहीं मचा रहे हैं। हमारी मूलभूत स्थिति वही है जो पहले थी।

Shri Sidheshwar Prasad: The Minister of State in the Ministry of External Affairs stated just now that it was the personal view of Shri Adlai Stevenson, but two or three years back he in the capacity of an American delegate to the United Nations had expressed the same opinion and he has now repeated the same. I would like to know whether it is on account of India's failure to represent her case there or it is due to Shri Adlai Stevenson's ignorance or prejudice.

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे खेद है कि श्री अदलाई स्टिवेन्सन को समझाने में हमारी असमर्थता के कारण वह हो सकता है या उनकी समझने की असमर्थता के कारण हो सकता है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह विचार श्री अदलाई स्टिवेन्सन का अपना वैयक्तिक विचार है या यह अमरीकी सरकार का विचार है ? जब वह कोई ऐसी राय जाहिर करते हैं तो दुनिया समझती हैं कि वह अमरीकी सरकार की राय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के संकल्प को देखते हुए क्या यह मामला अमरीकी सरकार के सामने पेश किया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं समझता हूं कि वह उनका अपना वैयक्तिक विचार था, अमरीकी सरकार का नहीं। अमरीकी सरकार के साथ इस मामले पर कोई चर्चा शुरू नहीं की गयी है। हम उसे उनका व्यक्तिगत विचार समझते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उसे अमरीकी सरकार का दृष्टिकोण न मानने के क्या कारण हैं ? यदि वह अमरीकी सरकार का विचार नहीं है तो क्या अमरीकी सरकार से हम यह नहीं कह सकते कि वह उन्हें चुप करे।

श्री जवाहरलाल नेहरू : अमरीकी सरकार उस तरह से काम नहीं करती। वह किस प्रकार काम करे इस बारे में उसने श्री माथुर की राय नहीं मांगी है।

डा० रानेन सेन : श्री अदलाई स्टिवेन्सन सदा ही अमरीकी सरकार के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि रहे हैं। इसलिये क्या कारण है कि सरकार ने उनके वक्तव्य को उनकी व्यक्तिगत राय समझी और अमरीकी सरकार की राय नहीं समझी ?

श्री जवाहरकाल नेहरू : श्री स्टिवेन्सन प्रिन्सटन विश्वविद्यालय के एक समारोह में भाषण दे रहे थे जिसका सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं था। वहां लोगों को अपनी व्यक्तिगत राय जाहिर करने की आदत होती है। वहां सरकार की नीतियां नहीं बतायी जातीं। इस कारण हम ऐसा मानते हैं और हमने पहले भी यह बताया था। गोआ के बारे में श्री स्टिवेन्सन की राय गलत है यह सभी जानते हैं।

डा० सरोजिनी महिषी : श्री अदलाई स्टिवेन्सन ने किस संदर्भ में यह बात कही थी कि भारत द्वारा गोआ पर अधिकार किया जाना स्पष्ट रूप से एक आक्रमण है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : वह प्रिन्सटन विश्वविद्यालय में डाग हैमरशोल्ड स्मारक भाषण दे रहे थे।

Shri Yashpal Singh: Does Government possess any statement of certain American experts wherein they had supported India in case of Goa or Kashmir?

Shri Jawahar Lal Nehru: There are several statements, but many of their statements also go against it.

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री ने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ ने एक संकल्प द्वारा गोआ की मुक्ति का समर्थन किया है।

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैंने कहा था सामान्य सभा ने।

श्री हेम बरुआ : ठीक है, यह संकल्प स्वीकार कर लिये जाने के बाद जब वे विपरीत भाषण करते फिरते हैं तो क्या सरकार यह नहीं सोचती कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य महासभा के संकल्प का उल्लंघन कर रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हम ऐसा नहीं समझते। किसी भी हालत में सरकार इस तथ्य की ओर उसका ध्यान नहीं दिलाने जा रही है। वे अपने भाषण में चाहेजिस तरह उसका उल्लंघन करें।

काश्मीर में पाकिस्तानियों द्वारा घात लगा कर हमला

*११९९. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री १६ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ५९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही युद्ध विराम रेखा के निकट भारतीय गश्ती दस्ते पर पाकिस्तानियों द्वारा घात लगा कर हमला किये जाने की घटना के बारे में काश्मीर स्थित संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों द्वारा जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी उपपत्तियां तथा निष्कर्ष क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य सैनिक पर्यवेक्षक ने पाकिस्तान द्वारा युद्ध विराम रेखा पार करने और हमारी गश्ती पुलिस पर गोलाबारी करने के लिये युद्ध विराम रेखा के उल्लंघन का निर्णय दिया है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इस समाचार में कोई सचाई है कि जिन कुछ गश्ती सिपाहियों को घात लगा कर मारा गया समझा जाता था उन्हें अब पाकिस्तान के अन्दर कैदी बना कर रखे गये हैं और यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें लौटाये जाने की मांग की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : यह ठीक है कि नौ आदमी पाकिस्तान में कैद हैं और हमने उन्हें लौटाये जाने की मांग की है। मालूम होता है कि १४ आदमी मारे गये हैं और उन के शव किशनगंगा नदी में फेंक दिये गये थे।

श्री हरि विष्णु कामत : जो लोग इस हमले में मारे गये थे उनके सम्बन्ध में क्या सरकार ने पाकिस्तान से कोई मुआवजा मांगा है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जी हां, हमने मुआवजा मांगा है।

श्री हरि विष्णु कामत : कितना ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : उन १४ व्यक्तियों के परिवारों के लिये जिन्हें मृत समझा जाता है, मुआवजा मांगा गया है ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : सरकार ने किस तरह अपना समाधान कर लिया है कि जिन लोगों को हमले में मारा गया समझा जाता है उन्हें पाकिस्तान में कैद करके नहीं रखा गया है ? इस समय पाकिस्तान में जो कैदी हैं उनके नामों की सूची प्राप्त करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : उन व्यक्तियों की संख्या के बारे में हमें केवल सामान्य जानकारी है लेकिन नामों आदि के बारे में हमारे पास विस्तृत जानकारी नहीं है। हम पाकिस्तान से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : इस बात को देखते हुए कि किशनगंगा नदी के क्षेत्र का कुछ भाग असुरक्षित पड़ा हुआ है, इस बात के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि पाकिस्तानी गश्ती सैनिकों के लिये किशनगंगा नदी को पार करना और हमारे लोगों पर हमला करना कठिन हो जाये ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं समझता हूं कि केवल यही कोशिश की जा सकती है कि हम उन कार्रवाइयों के बारे में अधिक सावधान रहें और उन्हें अधिक कड़ाई से दंड देने का प्रयत्न करें ।

Shri Bade : It has been said that compensation or damages have been demanded. This incident took place on the 16th March. I would like to know whether any reply has been received from Pakistan ?

Shri Y. B. Chavan : No reply has been received.

श्री हेम बरुआ : संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षक दल ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें इस मुंडागर्दी के लिये पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया है । क्या सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से कहा है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष से इस मामले पर बातचीत करने के लिये हमने अपने स्थायी प्रतिनिधि से कहा है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या कुछ लाशें नदी में मिली हैं और क्या उनकी पहचान की गई है और यदि हां, तो भारत सरकार की ओर से उन लोगों के परिवारों को क्या मुआवजा दिया गया है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : ऐसे मामलों में हमने संबंधित परिवारों को निश्चय ही कुछ सहायता दी है और यह अब भी दी जा रही है । कोई लाशें नहीं मिली हैं और उन्हें पहचानने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

Shri K. N. Tiwari : The hon. Minister has stated that Compensation has been demanded and no reply has been received. Have any instructions been given to the High Commissioner in Pakistan to press this matter and obtain a reply from them ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : पंचाट अप्रैल के पहले सप्ताह में प्राप्त हुआ है । हमने उसके बाद वह मामला उठाया है। उत्तर के लिये हमें उन्हें सामान्य समय देना चाहिये ।

Shri Prakash Vir Shastri : These incidents take place because the member of U. N. Observers who live here, is very scandy. It has been decided that their number be increased. We too feel that their number be increased. I would like to know whether any decision has been taken and if so, the nature thereof ?

Shri Y. B. Chavan: Final decision has not been taken so far. This question has been taken up with their representative Dr. Ralph Bunch.

श्री कपूर सिंह : क्या यह युद्ध विराम रेखा सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सीमा समझी जाती है या वह विवादग्रस्त क्षेत्र में विरोधी सेनाओं के बीच अलगाव की रेखा मात्र है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : युद्ध विराम रेखा युद्ध विराम रेखा है ।

Shri Kashi Ram Gupta: Is it a fact that Pakistan opposed the issue that the number of U.N. observers be raised and if so, the attitude adopted by Government of India against Pakistan Government's opposition in this matter ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : पर्यवेक्षकों की संख्या बढ़ाने के विषय पर पाकिस्तान सरकार की राय के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ?

Shri A. P. Sharma: It has been stated that no reply has been received from Pakistan Government. More than one month has passed since the despatch of letter. I would like to know how long we would wait and what steps would be taken if no reply is received.

Mr. Speaker: It is hypothetical as to what steps would be taken. The Minister may only state as to when the reply is expected to be received from Pakistan Government.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हमें और कुछ समय तक इन्तजार करना होगा । फिर हमें उन्हें याद दिलानी होगी ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस घटना के बारे में पाकिस्तान का क्या कहना है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षकों ने सही नहीं माना है और क्या उसने यह मान लिया है कि उसके पास कैदी हैं ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : उसका कहना है कि भारतीय गश्ती सैनिकों ने उनके गांवों पर हमला किया था, जो सही नहीं है ।

लंका में भारतीय

*१२००. **श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका में भारतीय राष्ट्रजन पर भारत में अपने परिवारों को धन भेजने के सम्बन्ध में हाल में ही कोई नये प्रतिबन्ध लगाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो वे प्रतिबन्ध क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) :(क) और (ख). कोई नये प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं। फिर भी १-२-१९६४ से विदेशों के लिये प्रेषणों पर १० प्रतिशत का कर लगाया गया है चाहे फिर प्रेषक किसी भी राष्ट्रीयता का हो ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या इस १० प्रतिशत कर के अलावा अन्य कोई प्रतिबन्ध कोलम्बो स्थित विदेशी मुद्रा नियंत्रक ने भारत में रुपया भेजने पर लगाये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : कोई नयी पाबन्दियां नहीं हैं। कुल अधिक से अधिक ७५० रु० प्रति माह तक अपनी आमदनी का लगभग ३३$^{१}/_{३}$ प्रतिशत भेजा जा सकता है यह पुरानी पाबन्दी हमें मालूम है ।

श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या सरकार को बताया गया है कि व्यापार समेटने वाले कुछ लोगों ने कोलम्बो स्थित विदेशी मुद्रा नियंत्रक को सूचित किया था कि वे अपने सम्पत्ति में से रकम बाहर भेजना चाहते हैं लेकिन उन्हें रोका जा रहा है, और यदि हां, तो श्री लंका सरकार से बातचीत करने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे ऐसी किसी कठिनाई के बारे में जानकारी नहीं है । ऐसा न करने के लिए श्रीलंका सरकार उन्हें प्रोत्साहन दे रही है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार को बताया गया है कि लगभग ८०,००० लोग श्रीलंका में भारतीय दूतावास में प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन में कुछ दक्षिण अफ्रीकी लोग भी हैं जो वित्तीय कठिनाइयों के कारण लौट नहीं सकते; और । यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या व्यवस्था करने वाली है ?

श्री दिनेश सिंह : मुझे मालूम नहीं कि वे ८० हजार हैं।

श्री हेम बरुआ : क्या श्रीलंका के इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि यद्यपि श्रीलंका में भारतियों के संबंध में सर्वसम्मत हल निकालने के लिए भारत सरकार को पर्याप्त समय दिया गया है फिर भी भारत सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है ; और यदि हां, तो यह कथन कहां तक ठीक है ?

श्री दिनेश सिंह : वह गलत है। हम ने सदन में बताया है कि प्रधान मंत्री ने उत्तर भेज दिया है और इस मामले में बातचीत करने के लिये श्रीलंका के प्रधान मंत्री के यहां आने के संबंध में उनके उत्तर की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa : In the one hand they had demanded that Indians should come and increase the trade whereas on the other, this restriction was imposed. I would like to know whether Government have written to them in this connection.

Shri Dinesh ingh : I am not aware that they have called our businessmen.

Shri Gulshan: May I know whether Govt. have taken any decision about rehabilitating those Indians who are coming from Zanzibar, East Pakistan, Ceylon and Burma, and if so, what arrangements have been made therefor ?

Shri Dinesh Singh: Yes Sir we are making some arrangements for rehabilitating those Indians who are returning here.

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले दिन सरकार ने यह स्वीकार किया था कि कई हजार कई लाख राज्य होन भारतीयों को श्रीलंका सरकार द्वारा कुछ प्रलोभन दिये गये हैं और फिर भी हमारे लोग उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं क्योंकि या तो वे पर्याप्त नहीं हैं, या फिर वे उन्हें पसन्द नहीं करते ? क्या वहां के भारतीयों को श्रीलंका सरकार की ओर से प्रोत्साहन की मात्रा बढ़ाने या कुछ रोजगार दिलाने के संबंध में हमारी सरकार ने श्रीलंका सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है ? नागरिकता अधिकार न रहने पर इन राज्यहीन व्यक्तियों की क्या स्थिति है और क्या उन्हें पूरा रोजगार मिल गया है ?

श्री दिनेश सिंह : यह क्षतिपूर्ति का अपर्याप्तता का प्रश्न नहीं है । वे लोग यह समझते हैं कि वे लोग श्रीलंका के नागरिक हैं और उन्होंने श्रीलंका की नागरिकता के लिए आवेदन किया है और उन्हें वहां रहने के लिए श्रीलंका की नागरिकता दी जानी चाहिये। उनके आने की इच्छा का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री रंगा : इस बीच उनकी क्या स्थिति है ; क्या उन्हें रोजगार दिया हुआ है या उन्हें कोई तकलीफ दी जा रही है ?

श्री दिनेश सिंह : उनमें से अधिकांश को रोजगार मिला हुआ है । कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें रोजगार न मिला हुआ हो ।

जम्मू के निकट एक गांव पर पाकिस्तानियों द्वारा छापा

\+

*१२०२. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री सू० ला० वर्मा :
श्री ब्रज राज सिंह :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू के निकट मोरा रोमानी गांव में पाकिस्तानियों द्वारा सीमा पर ७ अप्रैल, १९६४ को मारे गये छापे में पांच भारतीयों का एक पूरा का पूरा परिवार मारा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) ७/८ अप्रैल, १९६४ को रात को गांव मोरा रोमानी, थाना हीरानगर, जिला कठुआ में, पांच सदस्यों के एक पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। उस गांव में इसी एक मात्र परिवार का मकान था । अपराधियों का अभी पता नहीं चला है ।

(ख) स्थानीय पुलिस मामले की छान बीन कर रही है ।

श्री दी० चं० शर्मा : जम्मू से तथा सीमा से मोरा रोमानी कितनी दूर है क्योंकि उससे पता चल सकता है कि सीमा पार कर के पाकिस्तानी हमारे क्षेत्र में कितनी दूर तक आ सकते हैं।

श्री दा० रा० चह्वाण: जिस थाने के ऊपर उल्लेख किया गया है यह उसके उत्तर में कोई ८ मील दूर है । सीमा से हमारी ओर यह १० मील की दूरी पर है ।

श्री दी० चं० शर्मा : यह कैसे संभव हो सकता है कि पाकिस्तानी सीमा पार करके हमारे क्षेत्र में दस-दस मील तक चले आते हैं और ५ भारतीयों के परिवार की हत्या कर जाते हैं? क्या हम कोई ध्यान नहीं रखते ताकि वे हमारे इलाके में न आ सकें ?

श्री दा० रा० चह्वाण : इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि पाकिस्तानी आये और उन्होंने यह हत्या की । सच तो यह है कि जो साक्ष्य हैं वह कुछ और ही हैं। हमारी ही ओर के अपराधियों ने यह अपराध किया है ।

श्री हेम बरुआ : एक औचित्य प्रश्न है । अभी-अभी मंत्री महोदय ने बताया कि पुलिस छानबीन कर रही है और अब वह वक्तव्य दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। उन्हें अपनी राय नहीं देनी चाहिये थी ।

Shri Bade : Is it a fact that Jammu area is ridden with this panic that each Pakistani who brings the head of an Indian would get Rs. 100 and all the five victims in this murder case were found beheaded and the villagers believe that the Pakistanis came and committed this crime ? I want to know whether they could not defend themselves because you had not given them any arms, if so, whether Government propose to give them arms.....

Mr. Speaker : Shri Bade wants to say the same thing to which Shri Hem Barua had objected.

Shri Bade: What I say is that this rumour has caused panic there. There is a rumour in that village that each Pakistani who brings the head of a Hindu gets Rs. 100 and those five persons were found beheaded.

Mr. Speaker: Does Bade want that it should be reiterated that the Pakistanis have not come !

Shri Bade: I want to know whether this rumour is afloat or not.

Mr. Speaker: What can be said of that ?

Shri Bade: I want to know whether the murderers beheaded them and took away their heads or not.

Mr. Speaker: Did the murderers take away the heads with them ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : ऐसा नहीं हुआ ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच है कि कुछ महीने पहले कराची में चीनी दूतावास के सैनिक सहचारी बड़े-बड़े पाकिस्तानी सैनिक अधिकारियों के साथ काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा के दौरे पर गये थ और तब से वे छापे बढ़ गये हैं ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मेरे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : यह इलाका अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पास है; वहां कोई युद्ध विराम रेखा नहीं है । क्या सरकारी जानता है कि पाकिस्तान द्वारा सीमा के इस पार भी छापे मारे जा रहे हैं। यदि हां, तो उन्हें रोकने के लिये क्या पूर्वोपाय किये जा रहे हैं या किये जायेंगे ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं ने बताया है कि इस समय हम इन छापामारों की रोकथाम के लिये काफी सक्रिय कदम उठा रहे हैं और यदि फिर भी छापे मारे जाते हैं तो दृढ़ता से उनका सामना करने के लिये हमने प्रबन्ध किया है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : मेरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है । अबतक तो युद्ध-विराम रेखा के पार ही छापे मारे जाते थे परन्तु इस अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ नहीं होता था । अब पाकिस्तान ने सीमा के इस भाग पर भी छापे आरम्भ कर दिये हैं। राज्य के इस भाग में छापों को रोकने के लिये क्या पूर्वोपाय किए जा रहे हैं?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : युद्ध-विराम रेखा के बारे में जो पूर्वोपाय किये जाते हैं वही अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के इस भाग के लिये किये जा रहे हैं।

महाराजकुमार विजय आनन्द : इस हत्या में कितने पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के प्राण गए ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : पांच--२ पुरुष, २ स्त्रियां, तथा एक बच्चा ।

महाराजकुमार विजय आनन्द : मुसलमान या हिन्दू ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : हिन्दू ।

श्री अ० प्र० जैन : मीरा रीमानी गांव भारतीय क्षेत्र में दस मील अन्दर है । पिछले एक वर्ष में पाकिस्तानी छापामार हमारे क्षेत्र में अधिक से अधिक कितनी दूरी तक आए हैं?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं समझता हूं कि दो या तीन मील से अधिक नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री तुलशीदास जाधव ।

श्री हेम बरुआ : फिर एक औचित्य प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : पहले मैं उन्हें सुन लूं ।

Shri Tulshidas Jadhav: Why extra military and police is not stationed there when these incidents happen time and again in the border villages?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं समझता हूं कि युद्धविराम संधि के अन्तर्गत हम जितनी पुलिस वहां रख सकते हैं उतनी वहां है ।

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि दो तीन मील से अधिक नहीं परन्तु उपमंत्री महोदय ने कहा था कि दस मील से भी अधिक वे अन्दर आये। हम किसका कथन मानें, आप किसका मानेंगे ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : जी नहीं, उन्होंने इस विशेष मामले के बारे में नहीं पूछा था उन्होंने सामान्य रूप से पूछा था कि पिछले वर्ष क्या हुआ ?

श्री अ० प्र० जैन : यह भी पिछले एक वर्ष में हुआ था ।

Christian Missionaries in Goa

*1203. { Shri Prakash Vir Shastri:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Indrajit Gupta:

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Goa, has expressed concern over the activities of foreign Christian missionaries in Goa ;

(b) if so, Government's reaction thereto ;

(c) whether it is also a fact that a particular missionary proposes to convene a religious conference in December next ; and

(d) whether it is a fact that the Central Government have assured financial assistance to the organisers of the proposed conference ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shrimati Lakshmi Menon) : (a) & (b). The Government have seen reports in the Press about the statement reported to have been made by the Chief Minister of Goa, but no official confirmation about the alleged activities of the foreign Christian missionaries in Goa has been received from the local Government so far.

(c) As far as the Government are aware, an International Eucharistic Congress will meet in Bombay during November-December, 1964 and the Exposition of the remains of St. Francis Xavier will be held in December this year in Goa.

(d) It is primarily the responsibility of the Goa Administration to provide facilities to pilgrims visiting Goa on the occasion of the Exposition of the remains of St. Francis Xavier.

Shri Prakash Vir Shastri: While thanking the hon. Minister for replying in beautiful Hindi, I want to know the number of foreign missionaries in Goa at present.

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इसके लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

Mr. Speaker He has praised you for replying in beautiful Hindi;

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : बहुत थोड़े हैं, मेरे विचार में शायद ही कोई हो ।

Shri Prakash Vir Shastri: The United Goans Party has been returned in the last general elections in Goa as the principal opposition party. It is said that it has received some foreign assistance also. If so, what is Government's information in this regard ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उसे बाहर से कोई सहायता मिली है ।

Shri Onkar Lal Berwa: May I know whether other institutions are also assisted in their religious activities by the Government and, if not, why facilities are being extended to this association ?

Mr. Speaker : Our Government has not given any help.

Shri Onkar Lal Berwa : But the Goa Government has given.

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : जब इतना बड़ा दर्शन समारोह होगा तो सारे संसार से हजारों लोग आयेंगे और इस अवसर के लिये सुविधायें देना निश्चय ही गोआ सरकार का उत्तरदायित्व है ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या यह सच है कि गोआ में विदेशी धर्मप्रचारकों को प्रचार करने के लिए विदेशों से बहुत बड़ी धन राशि मिल रही है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इसका उत्तर मैंने दे दिया है । मैं ने कहा है कि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या यह सच है कि मुक्ति के बाद गोआ के धर्माध्यक्ष ने बड़ा शत्रुता पूर्ण रवैया अपना लिया था तथा क्या पूर्ण विलय के बाद उनके रवैये में कोई परिवर्तन हुआ है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं कह नहीं सकती । जहां तक मुझे पता है, जिस धर्माध्यक्ष का माननीय सदस्य ने उल्लेख कर किया है वह अब वहां नहीं है ।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि ईसाई धर्मप्रचारकों ने अपनी निस्वार्थ सेवा द्वारा इस देश के सामाजिक तथा शैक्षणिक उत्थान में बड़ा योगदान दिया है और यदि हां, तो क्या सरकार ने सोचा है कि हो सकता है कि ईसाई धर्म प्रचारकों के विरुद्ध यह आलोचना संकीर्ण, राजनीतिक तथा साम्प्रदायिक हितों द्वारा हो रही हो ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : अपनी-अपनी राय है ।

श्री शिंकरे : इस तथ्य को देखते हुए कि धर्मप्रचारक शिक्षा तथा अन्य सामान्य सेवाओं के साथ ही साथ बड़े गुप्त रूप से धर्म-परिवर्तन का काम भी करते हैं, क्या सरकार उनकी ऐसी कार्यवाहियों पर रोक लगाने के लिये कोई उपाय सोच रही है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं पहले ही कह चुकी हूं कि इन सभी आरोपों की राज्य सरकार द्वारा पुष्टि की जाती है और वह पुष्टि अभी हुई नहीं है ।

श्री फ० गो० सेन : क्या गोआ में ईसाई धर्म प्रचारकों की कार्यवाहियों के पीछे कोई और भी चीज़ है ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : मैं नहीं जानती कि अन्दर हो अन्दर क्या होता है ।

Shri Bade: Is it a fact that since independence, *i.e.* 1947, the number of foreign missionaries in Goa has increased and they are propagating against the Government and whether the same thing is going on in Nagaland and Jharkhand ?

Mr. Speaker: Confine yourself to Goa only.

Shri Bade: Is Government aware that such activities are going on in Goa ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ईसाई धर्मप्रचारकों की कार्यवाहियां सामान्य रूप से बढ़ गई हैं ।

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : सारे भारत में या गोआ में ?

अध्यक्ष महोदय : वह गोआ के बारे में बतायें ।

श्री बड़े : नागालैंड के बारे में भी ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : नागालैंड में बाहर से मिशनरी नहीं हैं — एक भी नहीं । गोआ में मैं समझता हूं कि कोई नये मिशनरी नहीं आये हैं । कुछ लोग वहां हैं; कुछ बदल गये होंगे और पुराने तरीके से ही चल रहे हैं । किन्हीं खास कार्यवाहियों के बारे में हम ने नहीं सुना है ।

Violation of Ceasefire line

+

*1204 { Shri Sidheshwar Prasad:
Shri S.L. Verma:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of times Pakistanis carried out raids into Indian territory in Jammu and Kashmir and violated the cease-fire line during March, 1964;

(b) the number of Indian soldiers killed and wounded therein ; and

(c) the number of Pakistani soldiers killed, wounded or arrested?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri D.R. Chavan): (a) During March 1964, Pakistanis carried out 7 raids across the cease-fire line and international border in Jammu and Kashmir, apart from violating the cease-fire line/international border on 36 occasions.

(b) No Indian soldier was killed; but one was wounded.

(c) 24 Pakistani armed personnel were killed. None was captured. The number of those wounded is not known.

Shri Sidheshwar Prasad : While replying to other questions the hon. Defence Minister has just stated that violations of the cease-fire line by the Pakistanis have increased. I want to know the reason.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : श्रीमान्, मार्च के महीने में सामान्यतः अधिक उल्लंघन होते हैं। यह कहना कठिन है कि ऐसा क्यों होता है परन्तु जैसा कि हमने पिछली बार बताया था, संभव है इसका सुरक्षा परिषद् की बैठक के साथ कोई सम्बन्ध हो। सामान्यतः ऐसा होता है। काश्मीर की समस्या के बारे में जब कभी भारत या पाकिस्तान में या सुरक्षा परिषद् में आम बातचीत होती है, यह संख्या बढ़ जाती है।

Shri Sidheshwar Prasad: Have some weapons been found in the case of violation of cease-fire line by the Pakistanis; if so, in which countries those weapons are manufactured ?

अध्यक्ष महोदय : पकड़े गये हथियार किस तरह के हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : अभी तक हमें यही साक्ष्य मिला है कि ये हथियार पाकिस्तान में उनके बने हुए ही हैं और कुछ ऐसे हैं जो उन्हें विभाजन के समय मिले थे।

श्री श्यामलाल सर्राफ : इस बात को देखते हुए कि पाकिस्तान ने खानसार तथा उझहेद नामक दो शक्तिशाली तथा आक्रमणशील स्वयंसेवी संगठन स्थापित किये हैं—वे युद्ध विराम रेखा को पार करते हैं तथा पूर्वी पाकिस्तान में भी—क्या मैं जान सकता हूं कि इन दो स्थानों पर पाकिस्तान द्वारा अपनाये जा रहे छापामार तरीकों का सामना करने के लिये क्या प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं समझता हूं कि जो एकमात्र प्रभावी उपाय हम कर रहे हैं या हमें करना चाहिये वह है युद्धविराम रेखा के समझौते के अधीन अपनी सशस्त्र सेनाओं तथा सामग्री का प्रयोग। इसके अतिरिक्त हम इस समय कुछ नहीं कर रहे हैं।

श्री जसवन्त मेहता : जब प्रश्न सुरक्षा परिषद् में था और दिन-रात पाकिस्तान भारत के विरुद्ध जहर उगल रहा था, उस समय पाकिस्तान के प्रचार का सामना करने और युद्ध-विराम रेखा के इस पार छापे मार कर सीमा पर शरारत को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये थे ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैंने बता दिया है कि इन छापों की रोकथाम के लिये हम क्या कदम उठा रहे हैं।

Shri Onkar Lal Berwa: In view of the continuous increase in these incidents, may I know whether the number of troops posted on the border has been enhanced to prevent these raids ?

Shri Y. B. Chavan: There is no question of any increase but, as I have already stated we are taking steps to prevent the raids. Those steps have yielded good effect and the number of raids has now somewhat fallen.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Museum for Gifts to P.M.

***1192. Shri Vishwa Nath Pandey :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a museum displaying the various articles presented to the Prime Minister by his foreign friends ; and

(b) if so, when this museum would be set up and the location thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद

*११९३. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री राम हरख यादव :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राग टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद का प्रशासन-भार भारी इंजीनियरिंग विभाग से प्रतिरक्षा मंत्रालय ने ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नये प्रबन्ध के अधीन इस कारखाने का किस विशिष्ट प्रयोजन के लिये उपयोग किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालयमें प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिरक्षा उपकरण तथा सामान के उत्पादन के लिये प्राग टूल्स लिमिटेड में उपलब्ध क्षमता के प्रभावी उपयोग को सरल बनाने के हेतु यह हस्तान्तरण किया गया था। प्राग टूल्स द्वारा पहले ही आरम्भ की गई परियोजनाओं को जैसे कि खराद के चक्के आदि गंभीर हानि पहुंचाये बिना ऐसा किया जायेगा।

(ग) निम्नलिखित नई योजनायें विचाराधीन हैं :—

(१) कारबाइन तथा गन कैरिज का निर्माण।

(२) आयुध कारखानों के लिये अपेक्षित जिग्स, टूलिग्स आदि का निर्माण।

(३) ढलाई क्षमता का प्रसार।

मृत सेना पदाधिकारियों के बच्चों को सुविधायें

*११९४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में यह निर्णय किया है कि मृत कमीशन-प्राप्त सेना पदाधिकारियों की विधवा न होने पर उनके बच्चों को उपदान के लाभ दिये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ऐसा किया जायेगा और किस आयु तक के बच्चों को उपदान पाने का हक होगा; और

(ग) मृत गैर-कमीशन-प्राप्त पदाधिकारियों के बच्चों को भी यह लाभ न देने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) विधवा के न होने पर मृत भारतीय कमीशन-प्राप्त पदाधिकारी के १८ वर्ष की आयु से कम के बच्चों को सामान्यतः विधवा के लिये निर्धारित उपदान का ५० प्रतिशत दिया जायेगा।

(ग) पदाधिकारी श्रेणी के नीचे के मृत कर्मचारियों के बच्चों विनियमों के अधीन पूरी दर पर उपदान पाने के पहले ही पात्र हैं।

ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग

*१२०१. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के लिये तीन विभिन्न प्रकार की सेवा-शर्तें लागू हैं ;

(ख) क्या इसका कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या सरकार ने बचत तथा कार्यकुशलता की दृष्टि से कर्मचारियों की स्थिति का पुनर्विलोकन किया है; और

(घ) क्या सेवा-शर्तों की असमानताओं को, विशेषतया उन असमानताओं को जो स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले से चली आ रही हैं, दूर करने का कोई प्रस्ताव है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां, समय समय पर भारत के अधिकारियों तथा अधिकारियों के दलों ने ऐसे पुन-विलोकन किये थे। उच्चायोग का एक अपना स्थायी बचत बोर्ड है और विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष तथा वित्तीय सलाहकार उसके सदस्य हैं । यह बोर्ड कार्यकुशलता तथा बचत के दृष्टिकोण से समय समय पर उच्चायोग के कर्मचारियों की स्थिति का पुनर्विलोकन करता है ।

(घ) 'स्थानीय पदाली' की योजना चालू करके इस दिशा में श्री गणेश कर दिया गया है जिसके अनुसार अधिकतर कर्मचारियों पर इंग्लैंड की सेवा शर्तें लागू नहीं होतीं और उनका सम्बन्ध भारत सरकार के संवैधानिक प्रतिरूप से स्थापित कर दिया गया है ।

विमानों का उत्पादन

*१२०५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विमान उत्पादन परियोजनाओं का प्रबन्ध करने के लिये एक एकीकृत संस्था स्थापित करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) ऐसे एकीकरण से क्या लाभ होने की आशा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) ब्योरा तैयार किया जा रहा है ।

(ग) सभी तरह के विमान तथा पुर्जे बनाने के एकीकृत निगम के निर्माण से बचत के साथ बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा तथा तकनीकों और डिजाइन सम्बन्धी प्रयास में स्थिरता आयेगी।

अखबारी कागज का आयात

*१२०६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कपूर सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्रीमती जोहरा बेन चावड़ा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय अखबारी कागज के लिये कुछ और विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में सफल हो गया है जिससे पूर्व घोषणानुसार १९६४–६५ में अखबारी कागज के आयात के कोटे में और कटौती न करनी पड़े ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा प्राप्त कर ली गई है; और

(ग) पहले घोषित की गई कटौती का किस वर्ग के समाचारपत्रों पर प्रभाव पड़ने की संभावना थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) और (ख) अनुज्ञापन को १९६३–६४ के स्तर पर बनाये रखने के प्रयास किये जा रहे हैं और २ अप्रैल, १९६४ को जो कटौतियां घोषितकी गई थीं उनमें से अधिकतर के हटा लिये जाने की संभावना है।

(ग) जिन समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं को प्रतिवर्ष ५०० मीट्रिक टन से अधिक मानक अखबारी कागज पाने का अधिकार था और जिन उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष २५ मीट्रिक टन से अधिक चिकना अखबारी कागज पाने का अधिकार था उन पर २ अप्रैल, १९६४ की सार्वजनिक सूचना में घोषित कटौतियों का प्रभाव पड़ता है।

पूर्व पाकिस्तान में स्त्रियों पर किये गये अत्याचार

*१२०७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् ने मांग की है कि संघ सरकार को चाहिये कि वह महिलाओं के एक शिष्टमंडल के जरिये संयुक्त राष्ट्र को पूर्व पाकिस्तान में स्त्रियों पर हुए अत्याचारों को बताये तथा यह शिष्टमंडल महिला संगठनों का समर्थन प्राप्त करने के लिये अन्य देशों का भी दौरा करे; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख) ऐसा समझा जाता है कि अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् की अध्यक्षा यह महसूस करती है कि महिला नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्वी पाकिस्तान में स्त्रियों पर ढाये गये अत्याचारों को संयुक्त राष्ट्र के ध्यान में लाये। तथापि, उन्होंने इस बारे में भारत सरकार से कुछ नहीं कहा है।

वियना में भारतीय दूतावास

*१२०८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वियना स्थित भारतीय दूतावास में अभी हाल तक कई महीनों से कोई राजदूत ही नहीं था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दूतावास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण पद भी खाली पड़े थे ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ग) जी हां, कुछ विलम्ब हुआ है परन्तु आंशिक रूप से इसका कारण यह है कि आभार्य सत्कार औपचारिकताओं को पूरा करने में कुछ समय लग जाता है। वियना में हमारे भूतपूर्व राजदूत श्री

ए० एस० लाल ने १ अगस्त, १९६३ को कार्य भार त्यागा और औपचारिकताओं के पूरा होते ही २७ नवम्बर, १९६३ को वियना में हमारे नये राजदूत के पद पर श्री पी० एम० हकसर की नियुक्ति की घोषणा की गई थी। वह वियना पहुंच चुके हैं।

(ख) जी नहीं।

जंजीबार में भूमि का राष्ट्रीयकरण

*१२०९. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री राम हरख यादव :
श्री मरली मनोहर :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंजीबार सरकार ने अपने देश में भूमि का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का भारतीयों की भूमि पर किस हद तक असर पड़ेगा; और

(ग) कितने भारतीय जंजीबार छोड़ चुके हैं तथा जंजीबार सरकार द्वारा उनकी सम्पत्ति के अर्जन से सम्बन्धित लेखों को तय करने तथा उनकी शेष आस्तियों के प्रत्यावर्तन के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जंजीबार सरकार ने १७ मार्च, १९६४ को एक आदेश प्रख्यापित किया था जिस में यह उपबन्ध था कि जहां राष्ट्रपति समझें कि सम्पत्ति का अर्जन राष्ट्रीय हित में है और प्रतिकर दिये बिना ऐसी सम्पत्ति के अर्जन से मालिक को अनुचित कठिनाई नहीं होगी, सम्पत्ति को जब्त किया जा सकता है।

(ख) और (ग) इस आदेश का वास्तव में क्या प्रभाव पड़ा है इस बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं आई है। हम समझते हैं कि अप्रैल, १९६४ के अन्त तक भारतीय उद्भव के लगभग १३०० व्यक्ति जंजीबार छोड़ चुके हैं।

नेशनल केडट कोर के साथ एन० सी० सी० राइफल्स का मिलाया जाना

*१२१०. **श्री दीं० चं० शर्मा :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल कैडेट कोर तथा एन० सी० पी० राइफल को आपस में मिला दिया गया है अथवा मिलाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) वर्तमान एन० सी० सी० सीनियर डिवीजन, इन्फैन्टरी यूनिट और एन० सी० सी० (राइफल्स) बटालियन (लड़के) तथा लड़कियों के यूनिटों को मिलाने और एक रूप प्रतिरूप पर उनके पुनर्गठन की २ अप्रैल, १९६४ को स्वीकृति दी गई थी ।

(ख) एन० सी० सी० (राइफल्स) के स्तर को ऊंचा उठाने तथा केडेटों के प्रशिक्षण और एन० सी० सी० अफसरों के वेतन तथा भत्तों के बारे में वर्तमान एन० सी० सी० सीनियर डिवीजन और एन० सी० सी० (राइफल्स) में असमानताओं को दूर करने के लिये राज्य सरकारों तथा शिक्षा प्राधिकारों के बारम्बार अनुरोध करने पर यह योजना स्वीकार की गई थी । पुनर्गठन योजना को तैयार करते समय उपकरण तथा शैक्षणिक सेविवर्ग में बचत की आवश्यकता तथा यूनिटों की कमान और नियंत्रण में सुधार को भी ध्यान में रखा गया था ।

Mass Communication

2500 **Shri Sidheshwar Prasad:**
Shri D.C. Sharma :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 265 on the 17th February, 1964 and state :

(a) whether any final decision has been taken after considering the suggestions made by the Ford Foundation Team of experts for setting up a Centre for advanced study of mass communication ;

(b) if so, the nature thereof ; and

(c) if not, the causes of delay ?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): (a) to (c) : A Departmental Committee was set up to work out the details relating to the financial implications, physical requirements, etc., for setting up the proposed Mass Communication Centre. The Report of the Committee has recently been received and will be examined shorty.

Asian Broadcastng Union

2501. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 266 on the 17th February, 1964 and state :

(a) whether any decision has been taken to make All India Radio a member of Asian Broadcasting Union ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayn Sinha): (a) Yes, Sir. The Government of India have decided that the All India Radio should become a full member of the Asian Broadcasting Union.

(b) A note indicating the salient features of the membership is placed on the table of the Sabha. **[Placed in Library. See no. LT 2783/64]**

Indian Delegations to Foreign Countries.

2502 **Shri Sidheshwar Prasad:**
Shri P.C. Borooah :
Shri P. Venkatasubbaiah:

Will the **Prime Minister** be pleased to state the number of delegations sent to foreign countries to present India's case againts Pakistan and China so far since January, 1964 along with the names of countries to which they were sent and the time of their visit ?

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru): No official delegation has been sent out for the purpose indicated in the question. It is understood that some individuals are touring countries of West Asia and North Africa, for which information will be collected and placed on the Table of the House at a later date.

Economy Measure in I & B Ministry

2503 **Shri M.L. Dwivedi :**
Shrimati Savitri Nigam :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the pay scales of and the total annual expenditure on posts in the All India Radio and Press Information Bureau that have been abolished on account of emrgency ;

(b) whether any new posts have been created in these departments and if so, the number of posts, their pay scales and the total annual expenditure to be incurred on them ; and

(c) the net saving or loss as a result of the abolition of old posts and creation of new ones ?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha) (a) A statement is laid on the table of the Sabha in respect of the All India Radio. No post was abolished in the Press Information Bureau on account of the Emergency.

(b) Yes, Sir ; another statement is laid on the table of the Sabha. **[Placed in Libarry. See No. LT 2784/64]**

(c) The net increase in the annual expenditure as a result of abolition of the old posts and creation of new ones is Rs. 6,14,149.

नैरोबी में भारतीय

२५०४. **श्री महेश्वर नायक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान नैरोबी शहर में भारतीय उद्भव के निवासियों की लूटपाट और उन के विरुद्ध हिंस्र कार्यवाही करने के बारे में रिपोर्टों की ओर आकृष्ट किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा की जायेगी ?

प्रधान मंत्री, वैज्ञानिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख) सरकार ने समय समय पर नेरोबी में लूटपाट आदि की घटनाओं के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें पढ़ी हैं । तथापि केवल भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के विरुद्ध ही ऐसी कार्यवाही नहीं की गयी है ।

केन्या की सरकार स्थिति से अवगत है और उन्होंने कानून विरोधी तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की है ।

५०५ ई० एम० ई० वर्कशाप दिल्ली में 'रिज़र्विस्ट'

२५०५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५०५ सेन्ट्रल ई०एम० ई० वर्कशाप, दिल्ली छावनी में लगभग सभी 'रिज़र्विस्ट' (रिजर्व सैनिक) अक्तूबर, १९६२ में आपातकाल के दौरान पुनः सक्रिय सेवा पर बुला लिये गये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित व्यक्तियों को कोई वित्तीय हानि हुई और सरकार ने उन से उनको दिये गये राशन और वर्दी के लिये भी वसूली की ; और

(ग) उनको हुई हानि को पूरा करने के लिये और उन से वसूल की गयी रकम उनको वापस करने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) ५०५ सेन्ट्रल ई० एम० ई० वर्कशाप, दिल्ली छावनी में असैनिकों के रूप में काम कर रहे ६२ "रिज़र्विस्ट्स' को आपात काल के कारण सैनिक सेवा के लिये बुलाया गया और विभिन्न सेवाओं में भेजा गया । १ मार्च, १९६३ को इन में से १७ व्यक्ति ५०५ सेन्ट्रल वर्कशाप में काम कर रहे थे।

(ख) और (ग) सक्रिय सेवा के लिये बुलाये गये 'रिज़र्विस्टस" या तो असैनिक वेतन और भत्ता ले सकते हैं या सैनिक वेतन और भत्ता, जो भी उन के पक्ष में हो । जो व्यक्ति सैनिक वेतन और भत्ता लेते हैं, उन्हें राशन मुफ्त मिलता है और जो असैनिक वेतन और भत्ता लेते हैं और उनको दिये गये राशन के लिये २५ रुपये मासिक लिया जाता है। यदि असैनिक वेतन और भत्ता सैनिक वेतन और भत्ता से २५ रुपये अधिक होता है तो उसे ही अधिक पक्षपाती समझा जाता है ।

जहां तक 'रिज़र्विस्ट्स" के कपड़ों का सम्बन्ध है, रक्षित पदों पर उनको वापस भेजते समय उन से कपड़े ले लिये जाते हैं और रेजिमेन्टल केन्द्रों में रखे जाते हैं । ये कपड़े उनको मुफ्त दिये जाते हैं। उन मामलों में जिन में रक्षित व्यक्तियों को अन्तिम रिज़र्विस्ट प्रशिक्षण समाप्त हो जाने पर कपड़े साथ ले जाने की अनुमति दी गयी थी, कुछ मामलों में सेवा में बुलाये जाने पर वे उन्हें वापस न ला सके। ऐसे मामलों में नये कपड़े विशेष वसूली दर के १० प्रतिशत की मामूली सी लागत पर दिये जाते हैं ?

अतः "रिज़र्विस्ट्स ' को सेवा में बुलाये जाने पर कोई हानि आर्थिक होने और फलतः उनकी क्षतिपूर्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

'टस्कर' परियोजना

२५०६ श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री घुलेश्वर मीना :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री १७ फरवरी, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या १२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डिब्रूगढ़ (आसाम) में 'टस्कर' परियोजना में लगे कुछ पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के सम्बन्ध में क्या अन्तिम नवीनतम प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : डिब्रूगढ़ में पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोपों के परीक्षण बाद के जांच के लिए तीन मामले लिये गये हैं। एक के बारे में जांच पूरी हो गयी है और विशेष पुलिस संस्थान का अन्तिम प्रतिवेदन प्रतीक्षित है । दूसरे के बारे में जांच इस महीने के अन्त तक पूरी हो जायेगी। तीसरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है ।

सेना मुख्यालय में समाघात विकास (कोम्बेट डेवेलपमेंट)

२५०७. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना मुख्यालय में एक नया समाघात विकास निदेशालय (डायरेक्टरेट आफ़ कोम्बेट डेवलपमेंट) बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो मुख्यालय में और क्षेत्र (फ़ील्ड) में इस निदेशालय को क्या काम सौंपा जा रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) इस निदेशालय के मुख्य कृत्य निम्नलिखित होंगे :

(१) हमारे अपने और संभावित शत्रु हथियार विकास को ध्यान में रखते हुए सामरिक संकल्पनायें बनाना और उन पर विचार करना ।

(२) यह बताना कि परिवर्तनशील सामरिक संकल्पनाओं के मुताबिक संगठन और सामग्री का किस प्रकार विकास किया जाये ।

(३) स्वीकृत समाघात विकास संकल्पनाओं के परीक्षण के लिये वर्तमान संस्थाओं और प्रयोगशालाओं में परीक्षण और प्रयोग की व्यवस्था करना ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

२५०८. **श्री हेडा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने वर्ष १९५९–६० में ये आदेश जारी किये थे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के स्थायी कर्मचारियों को अन्य अस्थायी / अर्द्ध-स्थायी कर्मचारियों से वरिष्ठ माना जाये ;

(ख) क्या उन के मंत्रालय के इन निदेशों को क्रियान्वित किया गया है और यदि हां, तो किस हद तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) इस बारे में गृह-कार्य मंत्रालय ने अप्रैल १९६१ में निदेश जारी किये थे ।

(ख) जहां तक प्रतिरक्षा मंत्रालय सचिवालय और सशस्त्र बल मुख्यालयों का सम्बन्ध है, इन निदेशों का पूर्णतः पालन किया गया है परन्तु इनको निम्न स्तर पर कार्य करने वाले असैनिकों पर लागू नहीं किया गया है ।

(ग) उपरोक्त निदेश कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने में माने जाने वाले सिद्धान्तों के बारे में वर्ष १९५९ में जारी किये गये सामान्य आदेशों के स्पष्टीकरण में थे । प्रतिरक्षा संस्थानों के समान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निम्न स्तर पर भी इनको लागू करने के प्रश्न का परीक्षण किया जा रहा है ।

अम्बाला तथा फीरोजपुर छावनी बोर्ड

२५०९. **श्री आ० ना० विद्यालंकार** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला तथा फिरोजपुर छावनी बोर्डों के कर्मचारियों और बोर्ड प्रशासन के बीच चल रहे विवाद की काफी पहले समझौता कार्यवाही हुयी थी और समझौता अधिकारी ने असफलता प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) सरकार को समझौता अधिकारी का प्रतिवेदन कब मिला है ; और

(ग) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) क्रमशः २४-४-१९६२ को और २२-४-१९६३ को।

(ग) अम्बाला छावनी बोर्ड के बारे में इस प्रतिवेदन पर कि विवाद पर फैसला न हो सका, सरकार का निर्णय सितम्बर, १९६२ में अम्बाला छावनी बोर्ड कर्मचारी संस्था को बता दिया गया । इसके उपरान्त अखिल भारत छावनी बोर्ड कर्मचारी संघ से अभ्यावेदन मिले कि कुछ मांगों को न्यायनिर्णयन के लिये भेजा जाये। इस मामले की सरकार जांच कर रही है ।

फीरोजपुर छावनी बोड के मामले में रीजनल श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), कानपुर का असफल समझौता प्रतिवेदन अभी सरकार के विचाराधीन है ।

आर्मी आर्डनेन्स कोर

२५१०. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सच है कि आर्मी आर्डनेन्स कोर में असैनिक कर्मचारियों से उनकी सेवा की शर्तों के बारे में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ?

(ग) क्या सरकार आर्मी आडनेन्स कोर की संगठनात्मक व्यवस्था और "रैंक" सम्बन्धी ढांचे की जांच करने के लिए और उनकी वैज्ञानिक व्यवस्था करने के लिये एक निष्पक्ष उच्च-अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करेगी ताकि सैनिक और असैनिक दोनों को समान अवसर प्रदान किये जा सकें ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) आर्मी आडनेन्स कोर में नियोजित असैनिकों से उनकी सेवा की शर्तों के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदनों का सार संक्षेप में निम्न प्रकार है ?

(१) तरक्की की अधिक सुविधायें ; अपर डिवीजन क्लर्कों ; लोअर डिवीजन क्लर्कों, क्लर्कों, हैड-क्लर्कों के अनुपात में परिवर्तन, स्टोरकीपरों, की विभिन्न श्रेणियों के बीच वर्तमान अनुपात सुधारना और प्रथम श्रेणी के पद बनाना ।

(२) द्वितीय श्रेणी के पदों के वर्तमान वेतन-दरों का पुनरीक्षण ।

(३) गजेटेड पदों पर पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि ।

(४) निवासस्थान का उपबन्ध ।

(ग) और (घ) ये प्रश्न पहले ही विचाराधीन थे और इन मामलों की जांच करने के लिये एक उच्च-अधिकार समिति बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सीमा सड़क संगठन के लिये आयुध पदाधिकारी

२५११. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश स्थानापन्न आयुध पदाधिकारियों (असैनिकों) की आयु, जिनको सीमा सड़क संगठन में रखा गया है, ४८–५४ वर्ष के बीच है ;

(ख) यदि हां, तो इस चयन की क्या कसौटी है,

(ग) क्या सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि इस क्षेत्र की बीहड़ता को देखते हुए सक्रिय सेवा के लिये भर्ती किये गये और प्रशिक्षित किये गये युवा सैनिक अफसरों को सीमा सड़क संगठन में रखा जाय ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी नहीं, सीमा सड़क संगठन में प्रतिनियुक्ति पर चार आयुध पदाधिकारियों (असैनिकों) में से केवल एक व्यक्ति, जो कि महा-निदेशक, नई दिल्ली के कार्यालय में काम कर रहा है, ४८–५४ वर्ष के वर्ग है ।

(ख) चयन के लिये कसौटी प्रतिनियुक्ति की प्रस्तावित शर्तों पर उस संगठन में काम करने की इच्छा, शारीरिक योग्यता और संतोषजनक सेवा रिकार्ड है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) मामला सरकार के विचाराधीन है ।

सीमेन्ट उद्योग के लिये दूसरा मजूरी बोर्ड

२५१२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय सीमेंट कर्मचारी फेडरेशन ने सरकार से सीमेन्ट उद्योग के लिये एक दूसरा मजूरी बोर्ड नियुक्त करने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

पंजाब के लिये रेडियो सेट

२५१३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब को ग्रामीण क्षेत्रों में देने के लिये वर्ष १९६३–६४ में कितने रेडियो सेट दिये गये; और

(ख) वर्ष १९६४–६५ में इस राज्य को कुल कितने रेडियो सेट दिये जा [illegible] और

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) २५०० ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

वायु सेना मुख्यालय में असिस्टेंटों की पदोन्नति

२५१४. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायु सेना मुख्यालय में सुपरिन्टेंडेंट के पद पर पदोन्नति के लिये वर्ष १९६३ में असिस्टेंटों की एक तालिका बनायी गयी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त तालिका पुरानी परम्पराओं और सिद्धान्तों के अनुसरण में बनायी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो पदोन्नत व्यक्तियों की सूची कब प्रकाशित की जायेगी ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, हां ।

(ख) यह तालिका सरकार द्वारा समय समय पर चयन पदों को भरने के लिये निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार बनायी गयी है ।

(ग) सुपरिन्टेंडेंट की श्रेणी में स्थान रिक्त होने पर, तालिका में से पदोन्नति की जाती है और उसको प्रकाशित किया जाता है ।

बर्मा में दुकानों का राष्ट्रीयकरण

२५१५. **श्री रामनाथन चेट्टियार :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : उन भारतीय दुकानों की, जिनकी पूंजी १०,००० रुपये और इस से अधिक थी, क्या संख्या है, जिनका हाल में बर्मा सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : बर्मा में भारतीयों की जिन दुकानों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, उनकी संख्या लगभग २५०० है। इस समय यह कहना संभव नहीं है कि उनमें से कितनों की पूंजी १०,००० रुपये और और इससे अधिक है।

Provident Fund Scheme

2516. Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Will the Miniser of **Labour and Employment** be pleased to state :

(a) whether Government have received a demand from workers' unions that the provident fund scheme may be applied to those industries and trade establishments also where the number of employees does not exceed twenty ; and

(b) if so, the decision taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Employment and for Planning (Shri C.R. Pattabhi Raman) : (a) Yes.

(b) It has been decided that the Employmees' Provident Funds Act, 1952, should not be extended at this stage to smaller establishments employing fewer than 20 persons.

विकिरण आनुवंशिकी परियोजना

२५१७. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के विकिरण आनुवंशिकी परियोजना (रेडिवेशन्स जेनेटिक्स प्रोजेक्ट)[1] द्वारा कोई प्रयोग किये गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां। अणु शक्ति विभाग उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में "ड्रासफीलिया के शरीर में रश्मि-विकिरण और विकिरण निकाल कर चुहों के शरीर में संक्रमण का प्रवेश" नामक अनुसन्धान परियोजना पर, जिसे संक्षेप में विकिरण आनवंशिकी परियोजना कहा जाता है, धन लगा रहा है।

(ख) परियोजना के बारे में व्याख्या करने वाला एक संक्षिप्त टिप्पण सभा पटल पर रखा जाता है।

टिप्पण

यह सर्व विदित है कि निम्न स्तर पर भी जीवों के विद्युपण चिकित्सा विकिरण में विगोपन प्रजनन-शक्ति की हानि होती है, जिसे अग्रेतर प्रजनन के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है। अग शक्ति विभाग द्वारा दिये गये, नूसंधान अनुदान पर समर्थित उस्मानिया विश्वविद्यालय में विकिरण आनूवंशिकी परियोजना इन समस्याओं का अध्ययन करने में लगी है। इन्वेस्टीगेटर –इन्चार्ज ने इन अध्यापनों के लिये चुहे और ड्रोसोफिला मैलेनोगास्टर जिसे फूट- फ्लाई कहा जाता है दो जीव चुने हैं।

[1]Radiation genalics Project

आनुवंशिक कार्य के लिये फुट फलाई, का काफी इस्तेमाल होता है क्योंकि इनमें उत्पत्ति-विषयक अणु बहुत होते हैं। अतः हानि के प्रकार के सूक्ष्म अध्ययन के लिये विभिन्न प्रकार की 'फलाई' उपलब्ध है। एक्स-रे गामा रे और क्लोवाणू (न्युट्रन) पर अब तक किये गये कार्य से इस क्षेत्र में अन्य बातों का भी पता चला है। कुछ बातें लागु करके कुछ प्रयोग भी किये गये हैं जैसे आक्सीजन और रेपिड स्पिनिंग' अथवा 'सेन्ट्रीफ्यूगशन' के अभाव से, परिपेशी परिवर्तनों के महत्व सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के लिये, होने वाले असर।

विभिन्न सेलों की जिनसे अन्त में शुक्राणु बनते हैं आनुवंशिक क्षति का निर्धारण करने के लिये चुहों पर भी वैसा ही अध्ययन किया गया र। इन अध्ययनो की अन्यों के कार्य से पुष्टि हुई है।

इस परियोजना पर सितम्बर, १९६१ में कार्य आरम्भ हुआ है और पिछले तीन वर्षों में अणुशक्ति विभाग से इसको निम्नलिखित अनुदान दिये हैं :

१९६१–६२	. . . .	३१,३०० रुपये
१९६२–६३	. . . .	१५,९६४ रुपये
१९६३–७४	. . .	१७,१८७ रुपये
	कुल	६४,४५१ रुपये

सशस्त्र बल मुख्यालयों में कार्यालय का समय

२५१८. **श्री बड़े :**
श्री हुक्म चन्द कछवाय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र बल मूख्यालयों, नई दिल्ली की तीनों शाखाओं के कार्यालय के समय भिन्न भिन्न हैं ;

(ख) वायु सेना मूख्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को सेना और नौसेना मुख्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की अपेक्षा तीन घंटे अधिक समय तक क्यों काम करना पड़ता है;

(ग) क्या इस बारे में सरकार को कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख) यह सच है कि नई दिल्ली में तीनों सेना मूख्यालयों में काम के घंटे समान नहीं हैं। प्रत्येक सेवा मुख्यालय में सम्बन्धित सेनाध्यक्ष द्वारा निर्धारित अपनी आवश्यकतानुसार काम होता है।

(ग) और (घ) कार्य के घंटों में भेदभाव के बारे में कर्मचारियों से कोई शिकायत नहीं मिली है। तथापि, सशस्त्र बल मुख्यालय संघ ने प्रार्थना की है कि तीनों सेना मुख्यालयों और अन्तर्सेवा संगठनों में काम के घंटे समान हों। इस प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है।

Officers sent Abroad on Deputation

2519 **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that a number of officers of his Ministry were sent on deputation abroad under various schemes and fellowships during the last five years ;

(b) the number of out of them who are in service and the number who have retired, resigned or have been transferred to other Ministries ;

(c) Whether it is a fact that most of them are not employed on work for which they were given training abroad ; and

(d) the steps being taken to set right these irregularities ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour & Employment and for Planning (Shri C. R. Pattabhi Raman) (a) Yes. Seventy officers were deputed abroad for training under various schemes and fellowships.

(b) 69 are in service. One officer has retired and one officer is on temporary deputation to the Kolar Gold Mining Undertaking as Senior Labour Officer.

(c) No. Most of the officers are employed on work for which they were given training abroad.

(d) Does not arise.

जवानों का कल्याण

२५२०. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवानों की व्यक्तिगत कठिनाइयों की सूचनवाई के लिये कल्याण अधिकारी नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) अब उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या तरीका अपनाया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत जनता निम्न तरीके से यथा संभव अपनी कठिनाइयों की सुनवाई करा सकते हैं ;

(१) वे किसी भी समय अपनी कठिनाइयों को अपने पल्टन कमांडरों के जरिये कम्पनी कमांडरों को भेज सकते हैं। ऐसे मामले आवश्यक कार्यवाही के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को भ्ज दिये जाते हैं।

(२) उनको यदि कोई कठिनाई है, तो उसे व्यक्त करने का उनके अपने युनिट के आफिसर कमांडिग द्वारा आयोजित मासिक दरबार में अवसर मिलता है। आफिसर कमांडिग उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करता है ।

(३) कुछ युनिटों में युनिट के आफिसर कमांडिग को याचिका देने और व्यक्तिगत रूप से कठिनाई बताने के लिये कुछ दिन निश्चित किये जाते हैं। इन याचिकाओं

का परीक्षण किया जाता है और आवश्यक कार्यवाही के लिये उन्हें विभागीय अथवा असैनिक प्राधिकारों अथवा जिला सैनिक, नौसैनिक और वैमानिक बोर्ड को, जैसा भी मामला हो, भेज दिया जाता है।

आकाशवाणी से संसद की कार्यवाही सम्बन्धी प्रसारण

२५२१. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १७ फरवरी, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् की कार्यवाही के बारे में आकाशवाणी से प्रसारित प्रत्येक समाचार बुलेटिन की तिथि के उस भाग की एक प्रति भी प्रसारण के बाद संसद् पुस्तकालय को भेजी जाती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) संसदीय कार्यवाही आकाशवाणी द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रसारित कुल समाचार बुलेटिनों का एक भाग होती है और उनका सार और अवधि किसी बुलेटिन में अन्य समाचारों की महत्ता और उसके प्रसारण के समय को देखते हुए भिन्न भिन्न होती है। दिन में और रात्रि में विभिन्न समय पर और विभिन्न भाषाओं में प्रसारित सभी बुलेटिनों का व्यापक विश्लेषण करने और उनके सार, निकालने का काम काफी होगा और उसमें काफी श्रम करना पड़ेगा और अतिरिक्त कर्मचारी लगाने पड़ेंगे। इस विश्लेषण से होने वाले लाभ की इस पर आई लागत के अनुरूप नहीं होंगे। तथापि, क्योंकि आकाशवाणी से प्रसारित प्रत्येक संसदीय कार्यवाही की समीक्षा की प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है और प्रसारित किसी भी समाचार बूलेटिन की कोई भी लिपि आवश्यकता पड़ने पर आकाशवाणी से ली जा सकती है, प्रत्येक समाचार बुलेटिनों की लिपियों के सम्बन्धित सार की प्रति पटल पर रखने से कोई लाभ नहीं होगा।

पाकिस्तानियों द्वारा गोली बारी

२५२२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेना ने ९ अप्रैल, १९६४ को जम्मू के पुंछ क्षेत्र में बेतार बांध क्षेत्र के समीप भारतीय सीमांत टुकड़ी पर भारी मात्रा में गोलीबारी की जिस के फलस्वरूप एक भारतीय सीमांत सिपाही को चोट आयी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) १० अप्रैल, १९६४ की प्रातः (९ अप्रैल को), हमारे पुलिस गश्ती दल पर पाकिस्तानी सेना और नागरिकों ने पुंछ के उत्तर पश्चिम में पांच मील दूर से गोलियां चलायीं। हमारे दल ने भी उत्तर में गोलियां चलायीं। दोनों ओर से लगभग १॥ घंटे तक गोलियां चलती रहीं। इस गोलीकांड में हमारी गश्ती पुलिस का एक सब-इंस्पेक्टर घायल हुआ। पाकिस्तानी हताहतों की संख्या का पता नहीं है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र सैनिक प्रेक्षकों को युद्ध-विराम उल्लंघन के बारे में शिकायत-पत्र भेज दिया गया है। आवश्यक पूर्वोपाय कदम भी उठाये गये हैं।

पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी

२५२३. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचारपत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की सत्यता का पता लगा लिया है कि पूर्वी पाकिस्तान सरकार ने पश्चिम बंगाल के साथ की समूची सीमा को बन्द कर दिया है ताकि वहां से अल्पसंख्यक भारत न जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों की हमने जांच की है और वास्तविक स्थिति यह है कि यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों ने समूची सीमा को बन्द नहीं किया है, उन्होंने विशेषतः जैसोर और खुलना क्षेत्र की सीमा में सतर्कता बढ़ा दी है ताकि अल्पसंख्यकों को भारत जाने के लिये सीमा पार करने से रोका जा सके। ये उपाय उन अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किये जा रहे हैं जो बिना वैध-यात्रा कागजातों के सीमा पार करने का प्रयत्न करते हैं।

जम्मू तथा काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा का निरीक्षण

२५२४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक संयुक्त राष्ट्र उच्चाधिकारी ने जम्मू तथा काश्मीर में युद्ध-विराम रेखा क्षेत्र का दौरा किया और भारतीय पदाधिकारियों से बातचीत की;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का क्या उद्देश्य है;

(ग) क्या उनके अध्ययन को ध्यान में रखते हुए युद्ध-विराम रेखा क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षक दल में और वृद्धि की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक ?

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र के विशेष राजनीतिक कार्यों के अवर-सचिव, डा० राल्फ जे० बुंच ने हाल में जम्मू तथा काश्मीर के युद्ध-विराम रेखा क्षेत्र का दौरा किया और नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों से बातचीत की।

(ख) जैसा कि संयुक्त राष्ट्र की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, उनके दौरे का उद्देश्य निम्न प्रकार था :

"उनके दौरे का उद्देश्य महा सचिव को मिशन (भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैनिक प्रेक्षक दल) की समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में और उनके कार्य के बारे में जानकारी देना है ताकि सदरमुकाम से उनको अधिक सक्रिय समर्थन दिया जा सके . . . .

काश्मीर जाने से पूर्व श्री बुंच एक-एक दिन रावलपिण्डी और नई दिल्ली में काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र सम्बन्धी मामलों पर भारत और पाकिस्तान सरकारों के उपयुक्त अधिकारियों से परामर्श करने के लिये ठहरेंगे ।

(ग) और (घ). उप-महाद्वीप छोड़ने से पूर्व डा० बुंच ने कहा बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान युद्ध-विराम रेखा को केवल बनाये ही रखना नहीं चाहते बल्कि उसे और मजबूत करना चाहते हैं और मैं महा-सचिव से प्रेक्षक दल को संख्या में और उपकरणों से सुदृढ़ करने की सिफारिश करूंगा ।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

२५२५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी क्षेत्र में काम करने वाले और रहने वाले असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों पर अभी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लागू नहीं की गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को इन कर्मचारियों के लाभ के लिये लागू करने में कितना समय लगेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अभी इन असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों पर लागू नहीं की गयी है । योजना को लागू करना स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी है और इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है । यह बताना संभव नहीं है कि इस योजना को उस क्षेत्र में कब तक लागू किया जायेगा ।

Demands of Brick-Kiln Workers of Delhi

2526. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Bade :

Will the Minister of **Labour and Employment** be pleased to state :

(a) Whether any memorandum has been submitted to the Central Government by brick-kiln workers of Delhi regarding increase in their wages and if so, the details of their demands ;

(b) Whether it is also a fact that they held out a threat that they would go on strike if their demands were not given due consideration ; and

(c) Whether Government propose to take an early decision in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour & Employment (Shri R. K. Malviya) : (a) A memorandum has been submitted by the Bhartiya Republican Pathera Union, Delhi to the Delhi Administration of demanding *inter-alia* increase in wages from Rs. 4 - to Rs. 5 - per thousand bricks, and stoppage of the practice of deducting 30 bricks per thousands by the brick-kiln owners.

(b) No.

(c) The Conciliation Machinery of the Delhi Administration is trying to secure a settlement.

Supersonics from U.S.A.

2527. Shri Onkar Lal Berwa : Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the U.S. has agreed to supply supersonic aircraft to India ; and

(b) If so, when these would be supplied and the terms of the deal ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Air Accident Near Ambala

2528. Shri Onkar Lal Berwa : Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Flying Officer M. J. Commissariat was killed in an air accident near Ambala on the 15th April, 1964 ; and

(b) If so, the cause of the accident ?

The Minister of Defence (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes.

(b) A Court of Inquiry has been ordered to investigate the accident. The cause of the accident will be known when the report of the Court of Inquiry is received.

आकाशवाणी, दिल्ली में अंग्रेजी के न्यूज़रीडर

२५२९. **श्रीमती गायत्री देवी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र में नियोजित अंग्रेज़ी के न्यूज़रीडरों की क्या संख्या है;

(ख) उपरोक्त को उपलब्धि और वेतन दर क्या है और उनके वेतन का क्या आधार है अर्थात् तदर्थ अथवा अन्यथा ?

संचार-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) अंग्रेजी के न्यूज़रीडर दिल्ली केन्द्र द्वारा नहीं बल्कि आकाशवाणी के समाचार सेवा डिवीज़न द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। इस समय अंग्रेज़ी के न्यूज़रीडरों की संख्या पांच है।

(ख) न्यूज़रीडरों की दो श्रेणियां हैं जिनकी फीस उनके सामने दी गयी है :

श्रेणी	फीस रेंज
न्यूज़रीडर (जूनियर)	२५०—५००
न्यूज़रीडर (सीनियर)	४५०—८००

न्यूज़रीडर स्टाफ़ आर्टिस्ट ठेके पर एक विशिष्ट अवधि के लिये नियोजित किये जाते हैं। उनकी आरम्भिक फीस उपरोक्त फीस रेंज में उनकी अर्हता और योग्यता को ध्यान में रख कर निर्धारित की जाती है। उनके ठेके के नवीकरण के समय उनमें तदर्थ वृद्धि की जाती है। वेतन-वृद्धि इस पर निर्भर होती है कि स्टाफ़ आर्टिस्ट का पहले ठेके के दौरान कार्य सराहनीय, बहुत अच्छा अथवा अच्छा रहा।

Reported Statement by P.O.K. Mufti in Mecca

2530. Shri Prakash Vir Shastri : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) Whether his attention has been drawn towards a news item appearing in the Pakistan Times and the editorial columns of the daily Hindusthan (Hindi) wherein the so-called Grand Mufti of Kashmir while conducting the NAMAZ in Mecca delivered a message for early liberation of Kashmir;

(b) Whether Government have sent a note of protest to that country which is permitting holy places to be converted into an anti-Indian platform ; and

(c) if so, the reply received thereto ?

The Prime Minister, Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru) : (a) Government have seen Press reports according to which Mir Waiz Mohammad Yusuf Shah told a gathering of Kashmiris, at the Holy Kaaba : "Inshallah, victory would be yours sooner than you expect".

(b) & (c) In view of the vague reports, Government have not taken up the matter with the Government of Saudi Arabia.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कोहिमा नगर पर नागा विद्रोहियों द्वारा गोली चलाया जाना

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : मैं प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"१६ अप्रैल, १९६४ को कोहिमा नगर पर नागा विद्रोहियों द्वारा गोली चलाया जाना।"

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : १६ अप्रैल, १९६४ को शाम के लगभग ७–३० बजे करीब १५० विद्रोही नागाओं ने स्टेनगनों और राइफलों आदि से कोहिमा कस्बे पर तीन तरफ से गोलियां चलाईं। गोलियां लगभग ८–३० बजे तक चलती रहीं। सुरक्षा सेनाओं ने उस जगह तोपखाने की गाड़ियां भेज दीं। विद्रोहियों ने लगभग ११–३० बजे रात को और ४–३० बजे सवेरे फिर गोलीबारी की। दोनों बार जवाब में गोलियां चलाई गईं और विद्रोही भाग खड़े हुए। कोहिमा के तीन ग्रामीण मारे गये और १७ को चोटें आईं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : नागा विद्रोहियों पर नियंत्रण रखने के लिये सरकार द्वारा वहां के प्रशासकों को क्या हिदायतें दी गयी हैं, और वहां के लोगों में विश्वास की भावना पैदा करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : सरकार ने हिदायतें दी हुई हैं कि उन पर नियंत्रण रखा जाय। इस विशेष मामले में वह बड़ी संख्या में आये थे। जब हमारी ओर से गोली चलाई गई तो वह लौट गये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं जानना चाहता हूं कि कितने विद्रोही नागा मारे गये ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : नागा विद्रोहियों की हिंसात्मक गतिविधियों के बढ़ जाने पर क्या सरकार ने बप्टिस्ट मिशन से कहा है कि नागा विद्रोही युद्ध-विराम करें ताकि शांति के वातावरण में उनसे बातचीत हो सके ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : ठीक इसी प्रयोजनार्थ बैप्टिस्ट मिशन नागालैंड का दौरा कर रहा है । उन्हें युद्ध-विराम के लिये कहा गया है अथवा नहीं, इस बारे में नागालैंड का प्रशासन ही उन्हें कह सकता है । नागालैंड प्रशासन की ओर से नागा विद्रोहियों को युद्ध-विराम के लिये कहा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का उद्देश्य यह है कि जब हम इस बात पर सहमत हो गये हैं कि बैप्टिस्ट मिशन बीच-बचाव करे तो क्या हम ने इन बीच-बचाव करने वालों से कहा है कि जब तक बातचीत हो कम से कम तब तक युद्ध-विराम होना चाहिए ।

प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : युद्ध-विराम के लिये स्वयं नागालैंड प्रशासन की ओर से कहा गया है चूंकि हमारा इस से सीधा सम्बन्ध नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): देश की रक्षा का दायित्व केन्द्रीय सरकार का है न कि नागालैंड के प्रशासन का ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से नागालैंड प्रशासन युद्ध-विराम के लिये कहा है ।

श्री हेम बरुआ : युद्ध-विराम हुआ कहां है ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : एक औचित्य का प्रश्न है । अपने राज्य-क्षेत्र के अन्दर जो विद्रोही लोग हैं उन के सिलसिले में युद्ध-विराम शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता ।

श्री हेम बरुआ : एक औचित्य का प्रश्न है । युद्ध-विराम शब्द के बारे में आपत्ति की गयी है परन्तु इस मामले में सरकार ने शांति स्थापित करने की दृष्टि से एक विदेशी का सहयोग प्राप्त किया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है । परन्तु यह कहना अधिक उचित है कि उन्हें गोली-वर्षा समाप्त करने के लिये कहा गया है ।

Shri Bagri (Hissar) : Kindly let me have the translated version of it in Hindi.

Mr. Speaker : The hon. Member can put a question if he likes. I have already explained that from next session onwards simultaneous translation of the proceedings of the House will start. Till that time we have to pull on like this. In the meantime, I know that the hon. Member can understand English.

Shri Bagri : The hon. Minister said that the hostiles attacked twice I want to know that the three persons were killed in the first instance or in the second one ....and if they were killed in the second one whether any action was taken against the persons found responsible for negligence of their duty ?

श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सु० चु० जमीर): चूंकि गोली वर्षा रात्रि के समय हुई थी इसलिये यह बता सकना सम्भव नहीं है कि उनकी मृत्यु किस समय हुई। इस सिलसिले में उत्तरदायित्व निर्धारित करना भी सम्भव नहीं है चूंकि गोली वर्षा कोहिमा नगर से बाहर रात्रि के समय में हुई ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : On a Point of Order, Sir. I, had given notice of an Adjournment Motion regarding a criminal assault on a Hindu girl in Kashmir yesterday. I think it is all due to the statement of Sheikh Abdullah. This is a matter which concerns whole of India. The situation cannot be brought under control unless Sheikh Abdullah is re-arrested.

Mr. Speaker : I have said a number of times that such question cannot be raised like this. The hon. Member can come to me and know the reasons for the rejection of the said notice.

Shri Onkar Lal Berwa : Communal tension is increasing because of the statements made by Sheikh Abdullah. This particular incident should be enquired into. Action should be taken against Sheikh Abdullah and he should be arrested.

Mr. Speaker : Order, Order. I have to conduct the proceedings of the House. The hon. member may resume his seat or I will have to take action.

Shri Bagri (Khargone): Mr. Speaker, I have to make a Submission...

Mr. Speaker : If the hon. Member is not satisfied he can see me. I receive a number of notices and it is not possible to explain everything here.

Shri Onkar Lal Berwa : It was an Adjournment Motion and not a Calling Attention Notice.

Mr. Speaker If the leaders of respective parties cannot keep a check on their Members, I will be compelled to take action against them individually.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय सरकार के बदले जाने वाले ऋण

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : मैं २ अप्रैल, १९६४ में जारी किये गये केन्द्रीय सरकार के बदले जाने वाले ऋणों के परिणाम को बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २७८१/६४]

कर्मचारी भविष्य निधि (आठवां संशोधन) विधेयक

श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): मैं (२) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक २२ फरवरी, १९६४ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २६२ में प्रकाशित कर्मचारी भविष्य निधि (आठवां संशोधन) योजना, १९६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २७८२/६४]

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

कार्यवाही—सारांश

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं प्राक्कलन समिति की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी उप-समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय—भारत का राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली (प्रतिवेदन तथा लेखे) के बारे में उनचासवें प्रतिवेदन सम्बन्धी प्राक्कलन समिति की बैठक के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे सचिव, राज्य-सभा, से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा ने अपनी २१ अप्रैल, १९६४ की बैठक में भेषज तथा श्रृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक, १९६४ को पारित कर दिया है ।

भेषज तथा श्रृंगार सामग्री (संशोधन) विधेयक

DRUGS AND COSMETICS (AMENDMENT) BILL

राज्य सभा द्वारा पारित सभा पटल पर रखा गया

सचिव : मैं भेषज तथा श्रृंगार-सामग्री (संशोधन) विधेयक, १९६४, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

विनियोग (संख्या ३) विधेयक

APPROPRIATION (No. 3) BILL

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : मैं श्री ति० त० कृष्णमाचारी की ओर से प्रस्ताव करती हूं :

> "कि ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कुछ सेवाओं पर उस वर्ष में और उन के लिये स्वीकृत की गयी राशियों से अधिक व्यय हुई राशियों की पूर्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से धन के विनियोजन का प्राधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कुछ सेवाओं पर उस वर्ष में और उन के लिए स्वीकृत की गई राशियों से अधिक व्यय

हुई राशियों की पूर्ति करने के लिये भारत की संचित निधि में से धन के विनियोजन का अधिकार देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियम सुत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खंड १ से ३, अनु सूची, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को पारित किया गया ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

संविधान (सत्रहवां संशोधन विधेयक—जारी

CONSTITUTION (SEVENTEENTH AMENDMENT) BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा २५ अप्रैल, १९६४ को श्री विभूधेन्द्र मिश्र द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी ; अर्थात् :—

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : As I was saying, the State Governments should have passed legislations in accordance with the ceilings on Land Holdings Act of Assam, which have been upheld even by the Supreme Court. There is no use saying that the lands found in excess of the ceiling fixed should be given to the other farmers at market rates, because these lands shall have to be given to the poor and landless farmers. It has also been pointed out that the disparities found between rural and urban areas should be removed.

[Shri Kashi Ram Gupta]

In fact, the disparities among the poor and the rich should be removed, because poverty exists in urban areas also. The Government should pass legislation to the effect that no one is entitled to hold property worth more than 3 lakhs. That will go a long way in reducing the existing disparities.

There is a vide gap between profession and practice. Santhanam Committee had recommended that in order to eradicate corruption, the political parties should not be allowed to receive contributions from private companies. If this recommendation is accepted, much of the existing corruption will be removed.

In order to solve the housing problem in urban areas, lands should be made available at cheaper rates. Those who construct houses with a view to get rents should be discouraged and checked. But the policy of our Government is neither clear nor stable. I have given some amendments whose purport is simple. I want that the Government should make it clear that the lands shall only be given to the tillers and that they will be given rights of ownership. Unless such a provision is made, people will cherish doubts. I want that the restrictions that are being put in the Ninth Schedule they should be interim in character so that the state Governments may adjust their legislations accordingly. This legislation should not be given a political colour.

Also I want to point out that this amendment should not be turned into a political weapon. The hon. Members must know the whole of it and point out boldly any possible lacuna found therein.

श्री दाजी (इन्दौर) : मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं । इस विधेयक के सिद्धांतों को हम पहले ही स्वीकार कर चुके हैं । अधिनियम को कार्यान्वित करते समय कुछ कठिनाइयां सामने आई इसीलिये यह संशोधन लाना वांछनीय समझा गया । हमें देखना यह है कि इस संशोधन के रूप में कहीं कोई नया सिद्धान्त तो निहित नहीं है । मैं समझता हूं कि कोइ नया सिद्धान्त इस में निहित नहीं है । इस सिलसिले में श्री रंगा द्वारा जो तर्क दिये गये वह निस्सार एंव तत्संगत नहीं हैं । उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में कोई सरकार भूमि की अधिकतम सीमा आधा एकड़ ही निर्धारित कर देती है तो स्थिति क्या होगी । परन्तु कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अथवा सरकार भूमि की इतनी कम सीमा निर्धारित नहीं कर सकती इसलिये उन का तर्क निस्सार है । भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का उद्देश्य किसी को दण्ड देना नहीं वरन् एक सामाजिक सुधार लाना है ।

श्री रंगा ने एक यह तर्क दिया कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । परन्तु मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि स्वयं श्री चैस्टर बौलस ने, जिन को आप एक समाजवादी एवं साम्यवादी कदापि नहीं कह सकते, यह विचार व्यक्त किया है कि अल्प विकसित एवं पिछड़े हुए देशों में जमींदारी पद्धति का होना अहितकर बात है । उन्होंने जापान का उदाहरण देते हुए बताया कि किस प्रकार भूमि की कम सीमा निर्धारित करने से देश में उत्पादन बढ़ सकता है । इसलिये श्री रंगा का सिद्धांत अब समयातीत हो चुका है ।

हम चाहते हैं कि किसानों को उन की उपज का उचित मूल्य दिया जाये, उन्हें माल बेचने के लिये वांछनीय सुविधायें दी जायें परन्तु जब तक देश के ४०, ५० प्रतिशत

किसान बिना भूमि के रहेंगे तब तक हमारे उपायों का कुछ लाभ नहीं हो सकता । इस लिये यह आवश्यक है कि किसानों की बेरोजगारी समाप्त की जाये, उन्हें भूमि दी जाय।

संयुक्त समिति ने सराहनीय काम किया है । समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य से पता चलता है कि हम ने अपने किसानों से कितना बुरा व्यवहार किया है । यद्यपि यह अधिनियम बम्बई राज्य द्वारा १९५० में पारित किया गया था, इस के बावजूद भी अभी तक किसानों को इस का लाभ नहीं मिल पाया। सरकार द्वारा कृषि सुधार संबंधी कानून बनाये जाने के बावजूद भी भूमिहीन किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंच पाया है । कानून में कुछ कमियां रह गई हैं जिनका साहरा लेकर निहित स्वार्थ न्यायालयों में जाकर कानून के प्रभाव से बाहर रहते हैं । यदि सरकार वास्तव में देश की ८० प्रतिशत जनता को, जो देहातों में रहती है, फायदा पहुंचाना चाहती है तो इन कानूनो को प्रभावी रूप से क्रियाब न्वित करना अत्यन्त आवश्यक है ।

किसानों के हितों की दृष्टि से पुरानी तालुकदारी और जमींदार एस्टेटों का अर्जन करना काफी नहीं होगा । रैयतवाड़ी बन्दोबस्त के अन्तर्गत सरकार को उन लोगों की भूमि का अर्जन करना चहिए, जिनके पास निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक भूमि है । यह भूमि भूमि हीन किसानों में बांटी जाये । काश्तकार स्वामित्व सबके लिए एक समान होना चाहिए । वर्तमान विधेयक इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है ।

भारत की जनता द्वारा संविधान देश में समाजवादी ढांचा स्थापित करने के विशिष्ट उद्देश्य से बनाया गया है । यदि इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए संविधान के किसी अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता होती है तो उसका सबको एक मत से स्वागत करना चाहिए । हमें संवैधानिक संशोधनों का मजाक नहीं बनाना चाहिए । वर्तमान संशोधन द्वारा हम संविधान निर्माताओं की इच्छाओं को पूरा करके देश में समाजवादी ढांचे की स्थापना कर सकेंगे ।

यह दुःख की बात है कि कई राज्य सरकारें भूमि सुधार संबंधी कानूनों को ही क्रियान्वित करने में इतनी सुस्ती से काम ले रही है कि इस विषय पर लोगों को कांग्रेस की नेकनीयती पर शक होने लगता है । ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार जमींदारों के हितों का अधिक ध्यान रखती है । उदाहरणार्थ केरल राज्य को लीजिये, वहां पर साम्यवादी सरकार में कृषकों के हितों के लिए भूमि सुधार सम्बन्धी कानून पास किया था । इस कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिल चुकी थी किन्तु केरल कांग्रेस सरकार ने उन लाभों को समाप्त कर दिया जो वहां के कृषकों को पहिले वाले अधिनियम से प्राप्त थे । भूमि सुधार संबंधी अधिनियम में हस्तांतरण, छूट देने जैसी कई त्रुटियां रह गई हैं । योजना आयोग ने भी इस प्रकार हस्तातरित की गई भूमि को अवैध घोषित करने की सिफारिश की है जिससे भूमि सुधार के लिए उठाया गया कोई भी कदम प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकता है । अतः जब तक इन त्रुटियो को दूर करके कानन को उपयुक्त ढंग से लागू करने की व्यवस्था की जाती है तब तक भूमि सुधार सम्बन्धी कोई समस्या हल नहीं हो सकती है । अतः मैं सरकार से इस बुनियादी समस्या को हल करने का अनुरोध करता हूं । यदि भूमिसुधार के लिए संविधान में और आगे संशोधन करने की आवश्यकता पड़े तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार द्वारा ऐसे प्रयत्नों को जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा ।

श्री ओझा (सुरेन्द्रनगर) : यह दुःख की बात है जिस दिन यह विधेयक सभा में पुरःस्थापित किया गया है, उसी दिन से स्वतंत्र पार्टी के सदस्य जनता में इस विधेयक के प्रति गलतफहमी पैदा करके स्थिति का अनुचित फायदा उठा रहे हैं । वे इस विधेयक के मूल उद्देश्य को समझने का प्रयत्न नहीं कर रहें हैं।

यद्यपि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये भूमि सुधार संबंधी अनेक प्रयत्न किये गये हैं, किन्तु इस दिशा में कोई संतोषजनक बात नहीं हो पाई है । इसका मूल कारण यह है सरकार द्वारा योजनाओं को उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया है ।

अतः मैं श्री रंगा और उनके साथियों से अनुरोध कर रहा था कि वे कृषकवर्ग की दुहाई न दें । उत्तरोत्तर तीन संसदों द्वारा जो नीतियां स्वीकृत हो चुकी हैं उनके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का आन्दोलन इस समय अनुचित है । इस भूमि से सम्बन्ध सब प्रकार का शोषण समाप्त करना चाहते हैं । वाद-विवाद के दौरान अनेक सदस्यों ने अपने विचार अभिव्यक्त किये हैं । कई सदस्यों ने भूमि सुधार के मूल आधार पर आघात किया है मुझे यह देखकर आश्चय ही नहीं वरन् दुःख भी हुआ है । वर्षों से चले आ रहे भूमिधारियों और काश्तकारों के परस्पर सम्बन्ध में व्यवधान उत्पन्न कर अधूरे मन से किये गये काम से समाज हित नहीं हो सकता है । भूमि सुधार के बारे में केवल कानून बना देने से ही काम नहीं चलेगा । हमें इस बात का प्रयत्न करना है कि किसान अपने अधिकारों से अवगत हों और उनमें इतना साहस हो कि वे अपने अधिकारों के क्रियान्वित रूप की मांग कर सकें । ऐसा होने पर ही यह योजना सफल हो सकती है। हमें देखते हैं कि किसानों को बड़ी तादाद में बेदखल किया जा रहा है । प्रशासनिक व्यवस्था को समीचीन रूप देकर रैयत के रिकार्ड की समुचित देखभाल करना आवश्यक है । रिकार्ड भली प्रकार न रखने की अनेक शिकायतें हैं । यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो योजना सफल नहीं हो सकती है । हमने स्वयं काश्त करने वाले जमींदार को तो युक्तिसंगत मुआवजा दिया है किन्तु रैयत से जमीन प्राप्त करने की स्थिति में हम बाजार भाव से मुआवजा दे रहे हैं। यह विभेदपूर्ण नीति ठीक नहीं है । यदि उत्पादन वृद्धि के लिये भूमि सुधार आवश्यक हैं तो यह भेद समाप्त कर देना चाहिये । मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे शीघ्र ही भूमि सुधारों को कार्यान्वित करें ।

श्री गजराज सिंह राव (गुड़गांव) : मेरी आशंका है कि इस विधेयक से समस्या हल नहीं होगी। उच्चतम न्यायालय ने कुछ राज्यों में दिये गये निर्णय से भी यही प्रतीत होता है। साम्यवादी देशों में राज्य ही भूमि की मालिक है और वे किसी भी प्रकार इस का उपयोग कर सकते हैं किन्तु भारतवर्ष में परिस्थिति भिन्न है । यहां बगैर समुचित मुआवजे के जमीन नहीं ली जा सकती है। इस के अतिरिक्त कुछ अन्य शर्तें भी आवश्यक हैं। मेरा विचार है कि इस कानून से कठिनाइयां बढ़ जायेंगी । राज्यों में किसी स्टैण्डर्ड एकड़ के आधार पर अधिकतम सीमा निर्धारित करने से समस्या हल हो सकती है । पंजाब में काफी अर्से से भूमि सम्बन्धी बहुत अच्छे कानून बने हुए हैं । पंजाब भूमि सुधार अधिनियम के अधीन धारा ४४ में भूमि के रिकार्ड के बारे में उपबन्ध है । शिकायत की स्थिति में

वे नियमित दावा दायर कर सकते हैं। धारा ५ में कहा गया है कि ३० वर्ष या इस से अधिक समय तक भूमि का कब्जा रहने की स्थिति में वे मुजारे बन जाते हैं। धारा ८ के अनुसार नाममात्र का मुआवजा देने पर वे मालिक बन जाते हैं। अप "सम्पदा" शद का भिन्न भिन्न राज्यों में पृथक रूप में निर्वचन किया जायेगा। उस से मुकदमेबाजी बढ़ेगी। जब तक सुरक्षा की भावना का अभाव है संकट बना रहेगा। उससे उत्पादन में कमी होगी। यदि सरकार इस अधिनियम को पारित करना चाहती है तो उन यहहें बात स्पष्ट रूप में घोषित कर देनी चाहिये कि वह खुदकाश्त मालिकों के मार्ग में हस्तक्षेप नहीं करेगी। सैनिकों का उदाहरण लीजिये। वे देश के बाहर तैनात हैं और पांच से आठ वर्ष तक घरों से बाहर रहते हैं उसका यह अर्थ लगाया जायेगा कि वे खुदकाश्त नहीं कर रहे हैं और इसलिए उन की जमीन ले ली जाये। एक और उदाहरण है। मान लीजिये पांच भाइयों में से दो तीन बाहर रहते हैं वे थोड़ी सी जमीन की आय से निर्वाह नहीं कर पाते हैं। तब क्या अधिकारी यह कहेंगे कि वे खुद जमीन की काश्त नहीं करते हैं अतः उनकी जमीन ले ली जाये। अतः "सम्पदा" की इस परिभाषा से न तो किसानों की हालत सुधरेगी और न ही किसानों और भूमि के मालिकों में सम्बन्ध अच्छे रहेंगे। पंजाब में ऐसी व्यवस्था चली आ रही है जिसके अन्तर्गत गांव में कई किसान मिल कर खेती करते हैं। सरकार को यह आश्वासन देना चाहिये कि भूमि सुधार सम्बन्धी कानून का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। जो लोग अस्थायी समय के लिये जमीन से बाहर हैं उनकी जमीन नहीं लेना चाहिये। दिल्ली के निकट फरीदाबाद जाकर देखिये। वहां जिन लोगों ने तीन-चार आने प्रति बीघा जमीन खरी ी थी वे आज उसी जमीन को ३५ या ४० रुपये प्रति वर्ग गज बेच रहे हैं। इस प्रकार शोषण हो रहा है "सम्पदा" की परिभाषा में इमारतें और मकान भी सम्मिलित हैं फिर दिल्ली में यह लागू क्यों नहीं होता है जहां इस विशाल और भव्य दिल्ली का निर्माण करने वाले लाखों श्रमिक झोंपड़ियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

मूलभूत विधि यह होना चाहिये कि जमीन के अनुसार आयकर देना चाहिये। बड़े बड़े मकानों में रहने वाले निर्धारित आयकर दें; कम आमदनी वाले नहीं। आय-कर को भूमिराजस्व का आधार क्यों नहीं माना जाता है। इस विधेयक से साम्यवादी प्रवृत्ति वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा जो देश में अव्यवस्था चाहते हैं। सरकार को आश्वासन देना चाहिये कि वह इस कानून का दुरुपयोग नहीं होने देंगे।

Shri Bade (Khargaon) : Seventeenth Amendment is a severe encroachment into the rights of peasants. The present enactment seeks to snatch away the rights of peasants. This wants to close the doors of judicial courts for ever for the peasants. Everybody should be free to go to the courts. The objective of cooperative farming cannot be achieved in this manner. The building up of a progressive cooperative rural economy cannot succeed by passing this law. This method may be turned as Stalinist method Stalin destroyed 20 million peasants to enforce the cooperative farming in Russia. The farmers will not tolerate this. The slogan of land to the tiller, seems to have gone further from its spirit. The Madhya Pradesh Land Holdings Act states that surplus land will be allotted to political sufferers. But the political sufferers have already stabilised themselves. They enjoy first preference, next comes co-operative farming, then the Tribals and later on the Harijans. Thus if land is allotted to those who had never been tillers how

[Shri Bade]

it comes to the materialisation of the saying, 'land to the tiller', bring to jail does not entitle a man or make him qualified for allotment of land. Then, buildings should have not been brought under this purview. I concur with the amendment moved by Shri Kashi Ram Gupta. This will also not apply in case of fruit gardens. Sugarcane fields do not fall under the category of fruit gardens. Thus they have suffered adversely and the production of sugarcane has gone downward. This law is defective. Two things are necessary: land to the tiller and provision for mechanised farming. The farmers need incentive. They should be told that the ownership of land rests in them. Reformation, and not deformation, is the need of the hour. The collecting farming has failed in the USSR and China. These two countries are importing wheat from the U.S.A. I oppose the bill since it prohibits the farmers from going to the courts of law. The provision of market value compensation is a salutary idea and it should be acceded to. Evidence has it at one place that in Sherwati, government gave a direction, "You shall not award more than Rs. 6000/-". Accordingly the land Acquision officer gave Rs. 6000/- as his award. When the matter went to the courts, they gave Rs. 18,000 and the High Court has recently confirmed it. Therefore I put that the closing down the doors of a court is not a happy provision. The principles of fixation of ceiling differs from place to place. It should have a uniform standard throughout the country. The Planning Commission has also mentioned those places which should be kept separate from ceiling. There is need to increase the number of sugarcane farms. Land may be allotted to any extent but courts should always remain open for all. By bringing such bills, it is intended to benefit the communists. The introduction of such bills kills the very objective for which these stand.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि संयुक्त समिति ने इस विधेयक को बहुत परिश्रम से सुधारा है।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*)

मुझे बड़ी खुशी है कि 'सम्पदा' शब्द की परिभाषा बहुत ही स्पष्ट कर दी गयी है और अब उसकी परिभाषा में कोई त्रुटि नहीं रह गई है।

भूमि सुधार की प्रक्रिया के पीछे जो कानूनी शक्ति दी गई है, वह बहुत उत्साहवर्द्धक है और मैं समझता हूं कि देश के निहित स्वार्थ अब इस विधेयक में दिये गये भूमि सुधार की भावना की उपेक्षा नहीं कर सकते।

इस विधेयक में मुआवजे के बारे में जो सिद्धान्त दिया हुआ है, मैं समझता हूं उससे वे सभी आपत्तियां दूर हो जायेंगी, जो कुछ माननीय सदस्यों ने उठाई हैं। इस लोकतंत्रात्मक विधान द्वारा भूमि के स्वामियों या जमींदारों को उचित मुआवजा मिल जायेगा और उन्हें कोई शिकायत नहीं रह जायेगी। मेरे विचार से यह कदम उचित दिशा में ही है।

आखिर इन भूमि सुधारों का उद्देश्य क्या है ? मेरे विचार से इस के तीन उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाने का है। परन्तु इन १७ वर्षों के प्रयत्न के बावजूद भी देश में खाद्यान्नों की कमी है और हम बाहर से खाद्यान्नों का आयात करते हैं। परन्तु

इसके क्या कारण हैं ? लोग सहकारी खेती की बात कहते हैं । यह अच्छी बात है परन्तु उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को जो प्रेरणा मिलनी चाहिए थी, वह उन्हें नहीं मिली है । उत्पादन के सम्बन्ध में हमें संयुक्त अरब गणराज्य तथा जापान जैसे देशों की ओर देखना चाहिये ।

हमारे देश में औद्योगिक विकास हो रहा है । भाखड़ा बांध और नंगल उर्वरक कारखाना बनाने के लिये हमने लोगों की जमीनें लीं परन्तु उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया । संयुक्त अरब गणराज्य में आसवान बांध के निर्माण के लिये लोगों को गावों से विस्थापित किया गया परन्तु उनके लिए सभी सुविधाओं की व्यवस्था की गयी । हमारे देश में इस प्रकार से विस्थापित व्यक्तियों को पहले जैसी सुविधायें तथा पूरा मुआवजा नहीं दिया जाता । अतः इस बात का स्वागत है कि हम औद्योगिक विकास कर रहे हैं परन्तु हमें अपने देश की जनता के कल्याण को बलिदान नहीं करना चाहिये ।

भूमि सुधार का मूल आधार भूमि का वितरण है । परन्तु वस्तुतः कहीं भी वितरण ठीक नहीं है । एक राज्य की कथा इस प्रकार है कि किसानों ने अपने लड़के-लड़कियों तथा अन्य रिश्तेदारों में सारी जमीन बांट दी और इस प्रकार हरिजनों तथा भूमिहीन खेतीहारों में बांटे जाने के लिये कोई अतिरिक्त भूमि नहीं बची ।

कुछ दिनों पहले हमारे राज्य के हरिजनों ने राजघाट पर प्रदर्शन किया था । वे चाहते थे कि अतिरिक्त भूमि उनको बांट दी जाये । परन्तु वस्तुतः उन को बांटने के लिए अतिरिक्त भूमि मिल ही नहीं पाती । चूंकि ऐसे मामलों में आप यह रास्ता बन्द कर रहे हैं कि लोग अदालतों में मुकदमें न चला सकें, अतः हमें बहुत सावधानी से काम करना चाहिये । इस देश में किसानों तथा उद्योगपतियों के लिए अलग-अलग नियम नहीं होने चाहिये । उद्योगों तथा समाचारपत्रों में आप एकाधिकार बना रहे हैं और दूसरी ओर भूमि वालों की जमीनें आप छीन रहे हैं ।

अन्त में, मेरा कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य अच्छा है परन्तु इस के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिये सरकार को उचित तंत्र की व्यवस्था करनी चाहिये ।

श्री प० गो० मेनन (मुकन्दपुरम्) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । इस विधेयक की आलोचना कई आधार पर की गई है । यह भी कहा गया है कि हमारे संविधान में जो मूल अधिकार दिये गये हैं, उनमें बार-बार हेरफेर किया जाता है । ठीक है संविधान के मूल अधिकार हैं, तो राज्य की नीति के निदेशक तत्व भी हैं । निदेशक तत्व भी मूल अधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण हैं । निदेशक तत्वों में कहा गया है कि सरकार कानून बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगी । अतः कानून बनाते समय संसद् या राज्य के विधानमंडलों को इन तत्वों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये अन्यथा देश में भूमि सुधार नहो हो सकते । १९६० और १९६१ में केरल में भूमि कर ऐक्ट और कृषि संबंध ऐक्ट पास किये गये परन्तु केरल के उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय ने इन ऐक्टों को अवैध घोषित कर दिया । अतः सरकार भूमि सुधार नहीं कर सकी । अतः हम सब का कर्त्तव्य है कि हम इस संशोधन विधेयक का हृदय से स्वागत करें ।

[श्री प० गो० मेनन]

केरल के भूमि सुधार कानूनों की चर्चा की गयी । यह कहा गया कि वहां बाद में बना कानून कम उदार तथा कम प्रगतिशील है । मैं इस बात पर विवाद नहीं करना चाहता । परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि केरल की साम्यवादी सरकार ने वह ऐक्ट जल्दी में पास किया था और उसमें कुछ उपबन्ध त्रुटिपूर्ण थे । इसी कारण हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आलोचना की । जुलाई के महीने में वहां साम्यवादी सरकार हट गई और नई सरकार ने उसी पुराने बिल में कुछ सुधार करके पास किया । उसने केवल यही किया कि छोटी सम्पत्ति तथा जमीन वाले किसानों को उसने बड़े जमींदारों की तुलना में अधिक संरक्षण दिया । अतः इस विधेयक की आलोचना निराधार है ।

कांग्रेस दल तथा कांग्रेस सरकार इच्छुक है कि संविधान के निदेशक तत्वों में समाजवादी तथा कृषि सम्बन्धी जिन सुधारों की चर्चा है, उन को लागू किया जाये । कुछ जटिलताओं के कारण कुछ विलम्ब अवश्य हुआ है । यह एक जटिल प्रश्न है । केरल का कृषि सम्बन्ध ऐक्ट १९५९ में पास हुआ था और राज्य के कुछ भागों में उसे वैध तथा कुछ में अवैध घोषित कर दिया गया ? इसी प्रकार इस ऐक्ट की कुछ धाराएं कुछ क्षत्रों में वैध तथा कुछ में अवैध मानी गईं ।

अतः इस सत्रहवें संशोधन बिल को लाने का एक कारण यह भी है कि ये सभी अनियमिततायें दूर हो जायें । मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

Shri Kishen Pattnayak (Sambalpore) : We do not intend to oppose this Bill but looking to the Government policy in regard to agriculture and agriculturists during the last 17 years, we have no intention to vote in favour of this Bill.

Before we got independence people particularly moral population dreamt of a resolution. They expected that in free India intermediaries will be removed and the actual tillers will be the master of land. But they have been totally frustrated during these 17 years.

Upto twelve or ten years after our Independence there was no possibility of parties like that of Swatantra Party being organised. But when the dreams of the agriculturists were shattered during these years, only then parties like Swatantra Party came into existence.

The Swatantra Party is opposing the Constitution Seventeenth Amendment Bill and they are organising demonstration against this measure but the agricultural labourers and small agriculturists have now no strength or will to counteract. During the last 17 years legislations have been passed for abolition of *Zamindari*, for protection to Sub-tenant from eviction and also for consolidation of holdings. But what changes they have brought in the agricultural pattern of the country ?

As regards the Zamindari abolition legislation it has no doubt eliminated the zamindars and middlemen but the farmer has not been benefited to the extenet expected. Unless you make the definition of an 'agriculturist' clear that one who really works on the land will be recognised as agriculturists, no benefits will accrue, but there is no such thing in the definitions.

There is too much pressure on agricultural land. Those who are educated, who possess other sources and those who can compete in other field, should withdraw from the field of agriculture.

The operation of consolidation of land has not produced any result. If the Government is sincere about land reform and thinks that the amendment of the constitution is essential then consolidation of land should be done without exception for mechanised forms etc. The exception to the rule would give a scope for favouritism. Somebody might grow a garden in his land just to avoid the consolidation.

Shri Sinhasan Singh (Goarkhpur) : I agree in principle with the 17 Amendment bill but in the directive Principles of the Constitution it has been provided that no person shall be deprived of his property save by authority of law. Now provision is being made for acquisition of land under clause 31-A with the safeguard that article 13 will not apply to such acquisition. Thus it is found double standards are used for the land and the other estates like mines etc. It has also been provided that if a person owns a land within the prescribed ceilings for the time being and his land is acquired he will be given compensation equal to the market price.

The meaning of the phrase "for the time being" is not clear. If it means that the ceilings prescribed at the time of acquisition would apply, then the desention lies with the state which can raise or reduce the ceiling by adopting amendment to the law of the State.

Double standard of treatment is being met to rural and urban property. Zamindari abolition was applied to the rural area alone and not to the urban area. The reason is that the people of the villages are mute but they might rise any day against such discrimination. If a company is nationalised the share holders are given the market price, whereas the owners of the landed property are not given what actually was invested by him.

I ask the Government when they are going to implement the article 39 of the constitution whereunder the property is to be fairly distributed. The money is concentrated in the hands of industrialists and at the time of nationalisation they are given the market price of the shares. The report of the Mahalanobis has already been received but that no action has so far been taken thereon. Now again another committee is bing appointed.

In an amendment to the Company law it has been provided that nobody would hold more than ten managing agencies. Now the situation is that all the members of a family are holding ten agencies each. If you are providing that a family consisting of several members cannot own more than 40 acres of land, then you must also provide that the capitalists family cannot possess more than 40 lakhs of rupees. So if you intend to implement the article 39, that should be implemented earnestly.

This legislation has been brought so that agriculture should progress. No doubt with the abolition of zamindari some progress in agriculture was observed. But the Swatantra Party has won elections on the plea that the ruling party is taking away the lands of the peasants under the disguise of cooperative farming. The reason is obvious that the scheme of cooperative farming is not working properly.

The farmers who intend to have cooperative farming are not provided with proper facilities. The Government would say that 10 lakhs pf cooperative societies have been set up, but those are only in the papers.

I request the law minister to pay attention to the article 39 and see that all types of property is equally distributed.

श्री प० ना० कयाल (जयनगर) : ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधेयक विधि मंत्री के मस्तिष्क की उपज नहीं है। क्या इससे भूमि सुधार किया जाने वाला है ? क्या इसके लिये भूमि जमींदारों

[श्री प० न० कयाल]

को दी जायेगी या किसानों और रैयत को ? वास्तव में यह बात उद्देश्य पर और सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है कि वे विधेयक से क्या चाहते हैं। अब तक भूमि सुधार के लिए जितने विधान बनाये गये हैं उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया। भले ही जमींदारों से भूमि ले ली गई है किन्तु वह भूमि किसको मिली है ? अधिकारियों ने फिर से वह भूमि रिश्वत लेकर गलत लोगों को दे दी है। यही कारण है कि उपज में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसके अलावा लोगों को इतनी कम भूमि दी गई है कि उन्हें उर्वरक बीज आदि सभी सुविधाएं देने पर भी कोई लाभ नहीं होता।

ज़मींदारी समाप्त होने से किसानों और जमींदारों के सम्बन्ध बिगड़ गये हैं और किसानों के लिए वे जमींदार बैंकर का काम करते थे अब किसान को कहीं से कोई सहायता नहीं मिलती। उनके प्रति अधिकारियों का व्यवहार और भी अधिक क्रूर है और चाहे फसल अच्छी हो या बुरी वे ज़बरदस्ती किराया वसूल कर लेते हैं। ज़मींदारों का व्यवहार ऐसा नहीं था। किसान अधिकाधिक कर्जदार होते जा रहे हैं ।

ज़मींदारों ने प्रसन्नता से ज़मींदारी उन्मूलन को स्वीकार कर लिया था क्योंकि किसान किराया देने में आनाकानी करने लगे थे। दूसरी ओर रियोतदारों का किसानों के साथ सम्बन्ध ज़मींदारों का सा नहीं था बल्कि वे उनकी भलाई के लिए स्कूल और अस्पताल बनाते थे, तालाब खुदवाते थे और बैंकर का काम करते थे। उनकी सम्पत्ति को जागीर या सम्पदा नहीं कहा जा सकता।

गांव नष्ट हो रहे हैं। इस विधेयक द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा को और कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है और किसानों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा। दूसरी ओर आप बागान और भवनों की सीमा निर्धारित नहीं कर रहे। गांव के प्रति विभेद की नीति का अनुसरण कर रहे हैं ।

गांव के लोगों को गन्दगी में रहना पड़ता और अनाज उपजाने के लिए गन्दे से गन्दा काम करना पड़ता है। किन्तु उन्हें काम के अनुसार सुविधाएं नहीं मिलतीं। सुविधाएं नगर को अधिक दी जाती हैं। गांव के पढ़े लिखे लोग गांव छोड़ कर नगरों में चले आ रहे हैं और गांवों के लोगों की स्थिति दयनीय है ।

यदि सभा को यह विश्वास हो जाता है कि अब तक किये गये भूमि सुधारों से सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकले हैं, तभी उसको रैयतों की भूमि की अधिकतम सीमा को कम करने के लिये अपनी सहमति देनी चाहिये। हमें गांव में शान्ति बनायी रखनी चाहिये और किसानों के अन्दर व्याप्त अनिश्चितता की भावना को समाप्त करना चाहिये। यदि इस विधेयक का उद्देश्य केवल अलाभप्रद जोतों का अर्जन करना है, तो मैं इससे पूर्णतया सहमत हूं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : जब यह विधेयक संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया गया था, सरकार की नवीं अनुसूची में १२४ अधिनियम जोड़ना चाहती थी। परन्तु संयुक्त समिति में विधि मंत्री इस बात पर सहमत हो गये थे कि उन में से ८८ अधिनियमों को नवीं अनुसूची में रखने की आवश्यकता नहीं है अतः इस सभा के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने के लिये सरकार को सभा में स्पष्टीकरण देना चाहिये। सरकार ने बिना सोच विचार किये इन सभी विधानों को नवीं अनुसूची के साथ संलग्न कर दिया था, जो कि एक बहुत ही अनुचित बात है। यह विधेयक विश्वसनीय आर्थिक जानकारी पर आधारित नहीं है। जिन अधिनियमों को

इस विधेयक द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, उनका ठीक रूप से विश्लेषण भी नहीं किया गया है। अतः सरकार को भूमि की समस्या का गम्भीर अध्ययन करना चाहिये और कुछ समय पश्चात् आर्थिक जानकारी पर आधारित एक व्यापक विधान प्रस्तुत करना चाहिये। योजना आयोग द्वारा १९६३ में प्रकाशित "प्रोग्रेस आफ लैंड रिफार्म्स" पुस्तक में दिये गये आंकड़ों से पता चलता है कि बहुत सी बेकार पड़ी भूमि पर काश्त नहीं की गई है। यह सरकार के लिये सराहनीय बात नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या यह संविधान संशोधन विधेयक लाना उचित है? सरकार भूमि के पुनः वितरण का आश्वासन देकर सभा को सन्तुष्ट नहीं कर सकती है।

विधि मंत्री ने बार बार इस बात को दोहराया है कि सरकार इस संशोधन द्वारा संविधान में किसी नये सिद्धान्त को स्थान नहीं देने जा रही है अपितु इसका उद्देश्य कुछ बातों के बारे में थोड़ा फेर बदल करना मात्र है। मेरा निवेदन है कि सरकार संविधान का उचित अर्थ नहीं लगा सकी है। काफी वाद-विवाद के बाद संविधान सभा वर्तमान अनुच्छेद ३१ से सहमत हुई थी। संविधान सभा के समक्ष ये दो उपाय थे : विधायकों पर यह मामला छोड़ना और न्यायालयों को हस्तक्षेप करने की अनुमति न देना, और सम्पत्ति अधिकारों को संविधान में संरक्षण देना। संविधान सभा के सदस्यों में इसके बारे में काफी मतभेद था। संविधान सभा की उप समिति ने काफी सोच विचार के बाद जो खण्ड बनाया था, उसमें कुछ फेर बदल करके बीच का मार्ग अपनाया गया था। वह समझौता इस धारणा पर आधारित था कि पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में जा सकेंगे और यह कि मुआवजा दिया जायेगा। अतः माननीय मंत्री ने जो तर्क दिया है, वह सही नहीं है। संविधान सभा के वाद-विवाद तथा उसकी विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों को पढ़ने से यह बात सिद्ध हो जायेगी।

किसी ऐसे विधान को जो न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है अथवा जो कुछ समय के लिये ही लागू रहा है पूर्व तिथि से वैध ठहराना न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। यदि सरकार अपने बहुमत के बल पर पूर्व तिथि से लागू होने वाले विधान पारित करती रहेगी, तो यह एक गलत संसदीय प्रथा को जन्म देना होगा। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा ४४ अधिनियमों को संरक्षण दिया जा रहा है। क्या मंत्री महोदय सभा को बता सकते हैं कि इन अधिनियमों पर कोई विचार किये बिना यह असाधारण कदम क्यों उठाया जा रहा हैं?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : संयुक्त समिति के प्रत्येक सदस्य को ऐसा कदम उठाने के कारणों की जानकारी दे दी गई थी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं माननीय विधि मंत्री का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने संयुक्त समिति में हमारे काफी सुझावों को स्वीकार कर लिया था। परन्तु समय कम होने के परिणामस्वरूप संयुक्त समिति में सारे अधिनियमों पर विचार करना असंभव था। उच्चतम न्यायालय ने मद्रास भूमि सुधार अधिनियम के विरुद्ध नायडू और मद्रास राज्य के मामले में मद्रास भूमि सुधार अधिनियम को उस विधान में दी गयी 'परिवार' की परिभाषा के कारण अवैध घोषित कर दिया गया था। मैं विधि मंत्री से पूछना चाहता हूं कि सरकार 'परिवार' की परिभाषा पर इतना जोर क्यों दे रही है जब कि उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि इस "परिभाषा" का अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है और यह केवल भेदभाव को जन्म देती है जो कि संविधान का उद्देश्य नहीं है। इस भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि सामाजिक-आर्थिक उद्देश्य जो हम इस विधान द्वारा प्राप्त करने जा रहे हैं। क्या संविधान में दिये गये अधिकार सदैव सरकार की परिवर्तनशील आर्थिक नीतियों के रहम पर रहेंगे?

[डा० लक्ष्मीमल सिंघवी]

इस प्रकार के भेदभाव का क्या परिणाम होगा। यदि दो बड़े बेटों को ३०-३० एकड़ भूमि दी जाती है और पिता तथा दो छोटे बेटों को कुल ३० एकड़ भूमि दी जाती है तो इससे भूमि सुधार का कौनसा लक्ष्य पूरा होगा ।

खण्ड १ में ऐसी कानूनी शब्दावली का प्रयोग किया गया है जिससे भविष्य में बनाये जाने वाले कानून भी संविधान के उपबन्धों से मुक्त हो जायेंगे। इस खण्ड में उपबन्ध है कि समय लागू विधि में भूमि की अधिकतम सीमा पर संविधान का यह संशोधन लागू नहीं होगा। यह न्याय का उपहास है। इससे राज्य भविष्य में अपनी विधियों में संशोधन करके उन्हें संविधान के उपबन्धों से मुक्त कर लेंगे ।

इन कारणों से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और माननीय उपमंत्री से निवेदन करता हूं कि वे भूमि की भावी सीमा निर्धारण को संविधान के उपबन्धों से मुक्त करने वाले उपबन्धों में मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें ।

Shri D.S. Patil (Yeotmal): The Constitution's (Seventeenth Amendment) Bill has been brought in for the welfare of the poor peasants. It has been provided that the cultivator will be given the market price of land, in case his land is acquired whereas the person who does not cultivate himself will not be given the market price. I submit that the peasants depend upon their land and land is the source of their living, therefore the provisions should not include payment of market price. Rather they should be given alternative land. Morevover where the land owner does not cultivate the land himself and there are tenants those tenants should be provided with land.

The cooperative farming is practically not working. It has not suited the uneconomic holdings nor the lands which have been allotted to the landless labourers.

The Planning Commission has suggested that three categories of lands should be coupled from the ceilings determined under the land reforms. These are the gardens, farms on which investment has been made on long term basis and the farms run for the sugar mills. The reason for this suggestion is that enforcement or ceiling on them would adversely effect the production and efficiency in the farms. In Maharashtra the farms for the sugar factories have not been exempted from the law of ceiling. This had had no adverse effect and therefore I suggest that no such farm should be exempted from the ceiling.

Under the Tenancy Act some of the problems of the tenants were solved but the half tenants have not been given protection. The Planning Commission should pay attention to the people who cultivate half of their lands and the half land is under the tenants.

The Government should also consider that no revenue is charged from small holdings.

The farmers are afraid that their land even though it is within the ceiling would be acquired by the Government for setting up a factory or for constructing a bungalow.

Government should frame such a policy as to let the land within prescribed ceiling, remains with the peasants.

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : संविधान में अधिक संशोधन करना वांछनीय नहीं होता। किन्तु अमरीका में भी प्रारम्भ में बहुत से संशोधन किये गये थे और यह स्वाभाविक है कि प्रारम्भ में लिखित संविधान की त्रुटियों का अनुभव होता है। इस संशोधन विधेयक में ४४ अधिनियमों को शामिल करने की बजाय यह अच्छा होता कि एक व्यापक उपबन्ध रखा जाता। किन्तु विधि मंत्रालय विख्यात प्रारूप निर्माता न होने के कारण ही अनेक विधियां न्यायालय द्वारा रद्द कर दी जाती हैं।

यह बताया गया है कि यह संशोधन इसलिये आवश्यक है कि देश में भूमि सुधार करना है। भूमि सुधार किसी दल विशेष की राय नहीं बल्कि कृषि प्रधान देश में भूमि सुधार के बिना सुधार हो ही नहीं सकता। यदि सरकार ऐसा समझती है तो निस्संदेह भूमि सुधार में संविधान की दृष्टि से कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये।

भूमि सुधार के लिए केवल यह आवश्यक नहीं कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाए बल्कि यह भी आवश्यक है कि लाभहीन भूधारण को लाभपूर्ण बनाने के लिए कम भूमि वाले किसानों को अधिक भूमि दी जाए।

श्री रंगा कहते हैं कि सम्पत्ति पवित्र होती है अतः किसी की सम्पत्ति लेने पर उसे बाज़ार भाव से क्षतिपूर्ति देनी चाहिये। किन्तु वास्तव में कोई २०वीं शताब्दी में सम्पत्ति की पवित्रता की धारणा नहीं रही। अब तो १ लाख रुपया कमाने वाले से वित्त मंत्री ७५००० रुपया ले लेंगे और उसे डाका नहीं समझा जायेगा क्योंकि ऐसा सामाजिक हित के लिए किया जाएगा।

इस संशोधन द्वारा थोड़ी भूमि के स्वामी को संरक्षण दिया गया है और निर्धारित सीमा से अधिक भूमि के स्वामी से बिना उपयुक्त क्षतिपूर्ति के भूमि ली जा सकती है। मेरा सुझाव है कि किसी को भी संरक्षण नहीं देना चाहिये।

सरकार पन्द्रह वर्ष से भूमि सुधार के लिये प्रयत्न कर रही है किन्तु विहित हितों के कारण सफल नहीं हुई। अब इस काम में सांविधानिक रुकावट को दूर किया जा रहा है और मैं उसका स्वागत करता हूं।

श्री वासुदेवन नायर (अकलपुजा) : हम सिद्धान्त रूप में इस विधेयक का समर्थन करते हैं किन्तु सरकार की कथनी और करनी में बहुत अन्तर है और आज तक वह विहित हितों के इशारे पर काम करती रही है।

मुझे आश्चर्य हुआ कि आज १९६४ में संसद् में कांग्रेस का एक सदस्य बिचौलिया और जमींदार का समर्थन करता है और बीते युग की परिस्थितियां लाना चाहता है।

मूलभूत प्रश्न यह है कि यदि इस देश को अन्य देशों की तरह प्रगति के मार्ग पर बढ़ना है तो हमें भूमि सुधार में आमूल परिवर्तन करना होगा। इसके बिना चारा नहीं। पूंजीवादी देशों को भी इस मार्ग को अपनाना पड़ा है। किन्तु भारत सरकार आनाकानी से काम कर रही है। यही कारण है इस विधेयक को पुरस्थापित किये एक वर्ष हो गया है।

जब हम मुकदमेबाज़ी की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि देश के गरीब कृषक मुकदमेबाज़ी नहीं कर सकते। केवल बड़े बड़े जमींदार ही मुकदमेबाज़ी करते हैं। अतः सरकार का कर्तव्य है कि वह गरीब किसानों की सहायता करे। केवल अधिकतम सीमा निर्धारण

[श्री वसुदेवन नायर]

पर्याप्त नहीं बल्कि उचित किराया भी निर्धारित करना है और किसानों को भूमि खरीदने के अधिकार देने हैं। अतः हमें भूमि सुधार सम्बन्धी विधियों की रक्षा करनी है। इस विधि को केरल कृषक अधिनियम की रक्षा करने के लिए ही पेश किया गया था।

यद्यपि सत्तारूढ़ दल ने समाजवाद सम्बन्धी संकल्प पारित किये हैं और गत १२ वर्ष से वे भूमि सुधार के लिए प्रयत्नशील हैं किन्तु उनकी कथनी और करनी में अन्तर है।

केरल में केरल कृषक विधेयक के खिलाफ मुक्ति आंदोलन आरम्भ हुआ था किन्तु उस सरकार ने उस विधेयक को जल्दी में पास कर दिया था। एक वर्ष तक राष्ट्रपति ने विधेयक को अनुमति नहीं दी और फिर उसमें संशोधन के लिए लौटा दिया। तब केरल में कांग्रेस प्रजा-समाजवादियों की सरकार थी। उन्होंने उसे जल्दी में पास नहीं किया बल्कि काफी विचार के बाद संशोधन किया और फिर भी न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया।

मेरे मित्र श्री गोविन्द मेनन का कहना है कि पुराने और नये अधिनियम में कोई अन्तर नहीं है। किन्तु, वास्तव में नये अधिनियम में कृषक के विशेषाधिकार छीन लिये गये हैं और उचित किराया आदि के प्रश्न पर भी कृषकों को धोखा दिया गया है। पहले कृषकों को ज़मीन खरीदने का अधिकार दिया गया था किन्तु अब वे जमींदार की अनुमति मिलने पर खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक खण्ड में अधिकतम सीमा से नियुक्तियों का उल्लेख है। इस प्रकार की विमुक्तियों के कारण ही महाराष्ट्र में काफी भूमि का हस्तांतरण और विभाजन हो गया है और इस प्रकार सीमा से विमुक्ति प्राप्त कर ली गई है। पहले बेवर किसानों को बेदखल करके उन्हें १० प्रतिशत भूमि देने का उपबन्ध था किन्तु ३ प्रतिशत का उपबन्ध है। इस प्रकार दोनों अधिनियमों में विशाल अन्तर है। अतः इस विधेयक के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए मेरे राज्य के लाखों लोग इस ढंग से निराश हैं जिससे विधेयक को आगे बढ़ाया जा रहा है।

डा० सरोजिनी महिषी : संविधान (१७वां संशोधन) विधेयक सभा के समक्ष है। इस पर लोगों ने कृषकों को प्रोत्साहन न देने के बारे में अनेक शिकायतें प्रस्तुत की हैं। क्या संविधान में इतने अधिक संशोधन वांछनीय हैं? विधि मंत्री यह नहीं कहेंगे कि भूमि सुधार के मामलों से खाद्य तथा कृषि और सिंचाई मंत्रालयों का सम्बन्ध है।

इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद ३१-क में 'सम्पदा' की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यपालिका और न्याय-पालिका में दौड़ लगी हुई है कि जब कभी न्यायालय किसी विधान को शक्ति बाह्य घोषित करते हैं तभी विधान मंडल संविधान में संशोधन का प्रयत्न करता है।

संविधान के अनुच्छेद १३ में उपबंध है कि संविधान के प्रारम्भ से पहले लागू विधि के जो उपबंध संविधान से असंगत होंगे उन्हें रद्द समझा जायेगा और राज्य कोई ऐसा विधान पास नहीं करेगा जिससे किसी के अधिकारों को छीना जा सके। अतः किसी को केवल सार्वजनिक प्रयोजन से विधिवत सम्पत्ति से वंचित किया जा सकता था। अब संविधान में संशोधन के लिए यह कारण बताया गया है कि क्योंकि ८ विधियों को न्यायालय ने रद्द कर दिया है और १४ विधियों पर आपत्ति की गई है अतः संविधान में संशोधन किया जा रहा है। यह कोई अच्छा तर्क नहीं है।

सम्पदा की जो व्याख्या की जा रही है उससे छोटे कृषकों को भी खतरा पैदा हो गया है कि उनकी भूमि का अर्जन हो सकता है और संविधान के अन्तर्गत उन्हें संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। संयुक्त समिति ने खण्ड १ में जो संशोधन किया है उसके अनुसार यदि व्यक्ति स्वयं कृषि करता हो और यदि वह भूमि निर्धारित सीमा से कम हो तो उसके लिए बाजार भाव की क्षतिपूर्ति दिये बिना उसका अर्जन नहीं किया जा सकता।

बम्बई पट्टेदारी विधि के अनुसार यदि किसी किसान के पास कोई भूमि १९४८ से पट्टेदारी के तौर पर है तो वह स्वतः उसका स्वामी बन जाता है। अब उस भूमि के स्वामी को भी वंचित किया जा सकता है। इस के अलावा जो अपंग व्यक्ति स्वयं भूमि कृषि नहीं कर सकते उनके बारे में क्या होगा। 'स्वयं कृषि' की व्याख्या को विस्तृत करना चाहिये। हमें ऐसे सभी लोगों की श्रेणियों को दृष्टिगत रखना चाहिये जो दूसरों की भूमि में कृषि करते हैं, जिनके पास थोड़ी भूमि है, जो अपनी भूमि के अलावा दूसरों की भूमि में भी कृषि करते हैं, जो भूमिहीन कृषक हैं और ऐसे लोग जिन के लिए श्रम की भी व्यवस्था नहीं है। मैं जमींदारों का पक्ष नहीं ले रही। अवयस्क और विधवाएं ऐसे लोग हैं जो कृषि पर निर्भर करते हैं किन्तु कृषि नहीं कर सकते। अतः 'स्वयं कृषि' करने की परिभाषा को विस्तृत करना चाहिये। कृष्य भूमि और उसकी आय की तो सीमा निर्धारित कर दी गई किन्तु उद्योग सम्बन्धी सम्पत्ति का क्या किया गया है? शहरी और ग्रामीण सम्पत्ति में यह विभेद नहीं रहना चाहिये। कांग्रेस के भुवनेश्वर अधिवेशन में समाजवाद के संकल्प को देख कर अनेक लोग समझ रहे थे कि उनकी नीति और कांग्रेस की नीति में कोई अन्तर नहीं रहा। किन्तु कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार करने और सत्रहवां संशोधन स्वीकार करने पर कांग्रेस और साम्यवादियों में कोई अन्तर नहीं रहा। इसलिए देश भर में आन्दोलन हो रहा है।

इस विधान को कार्यान्वित करते हुए यथा संभव एक रूप विधान लाना आवश्यक है। विभिन्न मंत्रालयों में एकता के अभाव के कारण कृषि उत्पादन में कमी का तर्क युक्तिसंगत नहीं है।

श्री मा० ल० जाधव (मालेगांव) : इस विधेयक का प्रभाव केवल थोड़े से भू-स्वामियों पर पड़ेगा। खेतिहर पर इस विधेयक का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हमारा सामुदायिक खेती अथवा जमींदारी में विश्वास नहीं है। हम देश में समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं और यह विधेयक उस दिशा में एक कदम है। ये खेतिहर को जब तक भूमि का स्वामी नहीं बनाया जायेगा तब तक वह खेती के काम में पूरा मन नहीं लगा सकता। अतः इस विधान की देश में इस समय बहुत अधिक आवश्यकता है। व्यक्तिगत हित की अपेक्षा समुदाय का हित कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सरकार की नीति बिना मुआवजा दिये सम्पत्ति अर्जित करने की नहीं है। परन्तु समाज में परिवर्तन लाते समय पूरा मुआवजा देना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में बड़े भू-स्वामियों को आंशिक मुआवजा, जिससे वे संतुष्ट हो जायें, देना उचित होगा। बम्बई काश्तकारी अधिनियम में काफी परिवर्तन किये गये थे फिर भी उसको ठीक प्रकार लागू न करने के कारण केवल १ प्रतिशत काश्तकारों को ही उस अधिनियम के द्वारा लाभ पहुंचाया जा सका। इस अधिनियम में काफ़ी धारायें ऐसी हैं जिनका भिन्न अर्थ निकाला जा सकता है। इससे गरीब किसानों के रास्ते में भूमि का कब्जा प्राप्त करने में बाधा उपस्थित होती है। इस प्रकार के अधिनियमों का प्रशासन मामलतदारों अथवा पटवारियों को सौंप दिया जाता है। मेरे कहने

[श्री मा० ल० जाधव]

का अर्थ यह है कि ऐसे सामाजिक अधिनियमों का प्रशासन ऐसे व्यक्तियों के हाथों में सौंपा जाये जिससे किसान के साथ न्याय हो सके और भ्रष्टाचार का बाजार गरम न होने पाये ।

उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कृषकों को प्रोत्साहन देना जरूरी है । सरकार को उन्हें खाद सस्ते दामों पर देनी चाहिये । ऐसे अधिनियमों का तभी फायदा हो सकता है जब किसानों को खाद, बीज तथा कृषि उपकरण सस्ते दामों पर तथा समय पर दिये जायें और उन्हें ऋण भी समय पर उपलब्ध किया जाये ।

Shri Sheo Narain (Bansi) : There is great discontentment among the rural population. Life for the villagers has become very hard. They do not even get pulses. They are in a revolting mood. They cannot send their children to colleges and universities, because a farmer possessing 25 bighas of land cannot bear that much expense. An open conflict is now going on between the capitalists and high officials on the one hand and the poor classes on the other. Government should take a warning from all these things and set its house in order. Government should make a perfect law and enforce it throughout India. There should not be different legislation for different states. Whatever legislation is passed, Government should stick to that and implement it faithfully. Otherwise the people will lose faith in the Government and liquidate it on the spot. People's will should be carried out by the Government. There is great poverty in the eastern parts of India. The big landlords have distributed their lands among their relatives. The poor farmers have not been benefited by that the "bhoodan" land has also not gone to the poor Harijans.

The Government should protect the farmers by this Constitution Amendment Bill, because there is a feeling in the rural population that they are being neglected by the Government. The present machinery of the Government is quite rotten and needs complete overhauling. There should be a change of administration with the change of Government as is the practice in America. The rich and the poor should be treated on the same footing. All should be equal in the eyes of the law.

The Government should study the land reforms that were effected in the reign of Mughal and Hindu Emperors and try to put that into practice. With these words I support this Constitution (Amendment) Bill and request the Government to administer it properly and thereby protect the interests of the peasantry.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : देश की ७२ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है । योजना आयोग ने अपने पहले प्रतिवेदनों में कहा था कि कुछ वर्षों बाद औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप भूमि पर दबाव कम हो जायेगा । परन्तु हमे वर्तमान स्थिति को देखना है । बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ कृषि पर निर्भर करने वाली जनसंख्या में भी वृद्धि होती जा रही है । उनको किसी अन्य रोजगार मे नहीं लगाया जा सकता । देश की विकास अवस्था में अधिकतर भार कृषि पर ही पड़ता है । कृषि उद्योग में लगे हुए व्यक्तियों की आय के आंकड़े देखने से पता चलता है कि अधिकांश लोगों की आय बहुत ही कम है । भूमिहीन मजदूरों और अन्य गरीब लोगों की बहुत ही दयनीय दशा है । अतः हमे यह देखना है कि हम जो संविधान संशोधन विधेयक लाये हैं, उससे यह समस्या कैसे हल हो सकती है । हमें सारे समुदाय को देश के विकास में भागीदार बनाना है और लोगों को उन की मेहनत का फल दिलाना है । कृषक पर भार बढ़ता जा रहा है । अतः

गांव और शहर का प्रश्न उठाया जाना स्वाभाविक है । कई माननीय सदस्यों ने यह आपत्ति की है कि कृषि क्षेत्र पर ही यह भूमि की सीमा क्यों लादी जा रही है । चीन ने भी अपने ढंग से भूमि की समस्या को हल किया है । वहां पर मुआवजे का प्रश्न ही नहीं उठता । पहले उस ने प्राथमिक सहकारी समितियां बनाई थीं और बाद मे उन्हें "कम्यून" मे बदल दिया गया । एक "कम्यून" के लोग सारी भूमि पर मिल कर खेती करते हैं और पैदावार को आपस मे बांट लेते हैं ।

नागपुर अधिवेशन में जब सहकारी खेती के बारे मे संकल्प पास किया गया, तो एक समस्या उत्पन्न हो गई । परन्तु खेती को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है । अब भूमि के वितरण का प्रश्न आता है । निर्धारित हीमा के परिणामस्वरूप परिवार के विभाजन से अलाभप्रद जोतों की समस्या सामने आती है ।

अतः आप को कोई ऐसा तरीका तलाश करना चाहिये जिस से आप का स्वामित्व कायम रहे, परन्तु संयुक्त खेती के विचार को तो हमे स्वीकार करना होगा । हमें यह भी आवशसन दिया गया था कि भूमिहीन किसानों को भी स्थान मिलेगा । यदि सभी लोगों को साधन एक साथ हो जाय तो परिणाम अच्छे ही होने की सम्भावना हो सकती है । यदि लोगों को अपनी समस्याओं का पूरा ज्ञान हो जाय तो हमारी अर्थव्यवस्था मे काफी सुधार हो सकता है । अधिक आय होने से सब को लाभ होगा ।

आज जो विधान प्रस्तुत है, इस के द्वारा विधान की उन जलिटताओं की उपेक्षा करने का प्रयत्न मात्र है जो कि भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों पर आपत्ति करने पर अदालतों में पैदा हुई है । मेरा निवेदन यह है कि यह विधेयक पारित किया जाना चाहिये परन्तु हमें हमारी खेती की वास्तविक समस्याओं का ज्ञान होना चाहिये । और उन समस्याओं का हल तलाश करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये ।

श्री बासप्पा (तिपतुर) : भूमि सुधारों की दृष्टि से मुख्य प्रश्न जो मैं पूछना चाहता हूं वह यह है कि क्या वे लक्ष्य पूर्ण हो गये हैं जिन को पूरा करने के लिये इन्हें प्रस्तुत किया गया था । मेरे विचार में इस तरह अंशों मे भूमि सुधार करने के कानूनों से लाभ के स्थान पर हानि होने की अधिक सम्भावना है । मेरा मत यह है कि विभिन्न राज्यों में पारित किये गये अनेक भूमि सुधार अधिनियमों से कोई लाभ नहीं हुआ है । यदि खेती को उन अधिनियमों से कुछ लाभ हुआ भी है तो वह नाम मात्र को है । कोई महत्वपूर्ण लाभ नहीं हुआ है । मेरा मत यह है कि इन सफलताओं की पूरी पूरी जांच की जानी चाहिये । और जो कठिनाइयां इस दिशा में महसूस हों उन्हें दूर करने का यत्न करना चाहिये । मेरा विचार तो यह है कि अनेक भूमि सुधार कानूनों को लागू करने मे सुधार करने की कार्यवाही की जानी चाहिये । ऐसा होने पर ही हम खेती की पैदावार बढ़ाने का उद्देश्य प्राप्त कर सकेंगे । भूमि सुधारों के आज के स्तर पर नहीं लाया जा रहा, इस के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिये । विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भी योजना का मध्यवालीन मूल्यांकन करते हुए यही परिणाम निकाला था कि भूमि सुधारों को ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया ।

भूमि सुधारों के साथ साथ जोतों की चकबन्दी का प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है । इस दिशा में हम ने अपने लक्ष्यों को कहां तक प्राप्त किया है ? थोड़ी थोड़ी भूमि लाभदायक सिद्ध नहीं हो रही है । मेरा निवेदन यह है कि भूमिहीन की संख्या अधिक है । अतः जोतों की चकबन्दी और

[श्री दासप्पा]

भूमिहीनों को जमीन देना आरम्भ किया जाना चाहिये । इस बात के सम्बन्ध में हमें अन्धेरे में नहीं रहना चाहिये कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा हमें हमेशा समाज हित को ही सामने रखना होगा । तब ही तो सामाजिक न्याय का लक्ष्य पूरा हो सकेगा ।

इस के अतिरिक्त इस संदर्भ में इस बात का पूरा ध्यान रखने की जरूरत है कि जिन लोगों की भूमि ली जाये उन्हें उसकी वर्तमान कीमत मुआवजे के रूप में दी जानी चाहिये । जिन लोगों से भूमि उच्चतम सीमा के निर्धारित करने के कारण ली जा उन को मुआवजा देने में विशेष रूप में सावधानी बर्ती जानी चाहिये । यदि ऐसा न किया गया तो बहुत से लोगों की आर्थिक स्थिति पर एक दम बुरा प्रभाव पड़ेगा । यदि हम इस कृषि क्षेत्र की आय को कम करने के उपाय करेंगे तो हमें शहरी क्षेत्रों की आय के बारे में उसी तरह से सोचना होगा । भेदभाव तो नहीं होना चाहिये । यदि हम लोकतंत्रीय समाजवाद की स्थापना चाहते हैं तो हमें कम से कम भेदभाव की नीति को तो छोड़ना ही होगा ।

छूट देने के बारे में मेरी राय यह है कि यह एक आवश्यक रोग है । इसे कुछ समय के लिए लागू करना चाहिये । जो लोग हजारों एकड़ भूमि के मालिक हो कर नगरों में रहते हैं उन से तो भूमि ले ही लेनी चाहिये । हमें किसी की नीयत पर सन्देह नहीं करना चाहिये और इस विधेयक को स्वीकार कर लेना चाहिये । अधिक से अधिक भूमि सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिये । इस दिशा में काम इस ढंग से किया जाना चाहिये कि इस से सारे देश को लाभ पहुंच जाये ।

श्री मुथिया (तिरूनेलवेली) : जिन हालात में यह संशोधन विधेयक लाया जा रहा है मैं उस की सराहना करता हूं । राज्यों में भूमि सुधारों के बहुत विधानों के अवैध हो जाने के कारण इस की आवश्यकता अनुभव हुई है । ये कानून उच्चतम न्यायालय द्वारा कुछ तकनीकी आधारों पर ही अवैध घोषित हुए । मद्रास अधिकतम भू सीमा अधिनियम के बारे में स्थिति यह है कि रायतवाड़ी जमीनों सम्बन्धी भूमि सुधार जमींदारियों तथा जागीरों से विभिन्न आधार पर है । अतः मद्रास अधिक भूमि सीमा अधिनियम के अन्तर्गत उन के बारे में विभिन्न व्यवहार होना चाहिये । यह भी ठीक ही लगता है कि जब कृषि सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा लगा दी गयी है तो कोई कारण नहीं कि कृषि के विभिन्न प्रकार की सम्पत्ति पर भी वैसी सीमा क्यों न लगाई जायें । ऐसा न करना तो भेदभाव करने वाली बात होगी ।

इसी सन्दर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस भूमि को अर्जित किया जाय उस का मुआवजा समुचित दिया जाय । यदि बिल्कुल बाजार दर के हिसाब से मुआवजा देना सम्भव न हो तो मुनासिब मुआवजा जोकि बाजार दर के निकटतम हो । मेरे विचार में यह न्यायपूर्ण है कि रायतवाड़ी जमींदारों से ले ली गयी है । मेरे विचार में ८० प्रतिशत तो मुआवजा होना ही चाहिये । केरल अधिनियम के अन्तर्गत भी ६० प्रतिशत बाजार दर मुआवजे के रूप में देने की बात कही गयी थी । यह उन भूमियों के बारे में भी जिन से कि वार्षिक १५००० रु० की आय होती है । मद्रास अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजे की व्यवस्था ५० प्रतिशत थी । मद्रास अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं के बारे में पक्षपात किया गया है कि कोई विवाहित औरत १० एकड़ से अधिक भूमि नही रख सकती । इस विभेद को हटाया जाना चाहिये । इस अधिनियम में और भी कई

कई एक दोष हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिये। समाजवाद और समाज सुधार की दृष्टि से उच्चतम सीमा तो निर्धारित की ही जानी चाहिये।

अन्त में मैं संयुक्त समिति के इस संशोधन का स्वागत करता हूं कि जो लोग भूमि पर स्वयं खेती करते हैं, उन की भूमि लेने पर उन्हें पूरा मुआवजा दिया जायेगा।

विधि मंत्री (श्रीअ० कु० सेन) : इस विधेयक का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक प्रभाव होने वाला है। देश की कृषि जनता का कल्याण इस पर आधारित है। भूमि सुधार के बारे मे मेरा निवेदन यह है कि प्रत्येक राज्य में परिस्थिति दूसरे राज्य से भिन्न है, अतः एक जैसे ही सब जगह भूमि सुधार लाने सम्भव नहीं। फिर राज्य विधान सभाओं के काम तो संसद नहीं कर सकती। यदि इन विधियमों में कुछ कमियां हैं तो उन दोषों के राज्य वधान सभायें ही दूर कर सकती हैं। संसद का सम्बन्ध तो उन कुछ अड़चनों को दूर करना है जो न्यायालयों के निर्णयों के परिणामस्वरूप राज्यों के विधानों के कार्यकरण में अनुभव की जा रही थीं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कल अपना भाषण जारी रख सकेंगे। सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा मंगलवार, २८ अप्रैल, १९६४/वैशाख ८, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuseday 28th Spt.1964/Vaisakha 8, 1886 (Saka).

GMGIPND—LS—III—650 (ai) LSD—8-7-64—600.